

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यव की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 सितम्बर 2010—भाद्र 12, शक 1932

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,
(4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश
और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की
अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट।

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं।

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं।

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद में पुरस्थापित विधेयक,
(ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद के अधिनियम,
(ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम।

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2010

क्र. ई.-1-330-2010-5-एक.—श्री सेवाराम, भाप्रसे (1984),
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मछली पालन, उद्यानिकी एवं खाद्य
प्रसंस्करण विभाग तथा जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग,
उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के
साथ-साथ आगामी आदेश तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का
प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है।

(2) उपरोक्तानुसार श्री सेवाराम, भाप्रसे (1984) द्वारा विज्ञान एवं
प्रौद्योगिकी विभाग का कार्यभार ग्रहण करने पर श्रीमती कंचन जैन,
भाप्रसे (1984), प्रमुख सचिव, 20 सूत्र कार्यान्वयन विभाग तथा
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग केवल विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
के प्रभार से मुक्त होंगी।

(3) श्री अजीत केसरी, भाप्रसे (1990), आयुक्त-सह-संचालक,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, मध्यप्रदेश को अपने

वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा
जाता है।

(4) उपरोक्तानुसार श्री अजीत केसरी द्वारा प्रबंध संचालक,
मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम का कार्यभार ग्रहण करने पर
श्री अनिल श्रीवास्तव, भाप्रसे (1985), प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश
राज्य भण्डार गृह निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश बीज एवं
फार्म विकास निगम तथा राज्य कृषि उद्योग विकास निगम केवल प्रबंध
संचालक, मध्यप्रदेश राज्य भण्डार गृह निगम के प्रभार से मुक्त होंगे।
अब श्री अनिल श्रीवास्तव, भाप्रसे (1985) की मूल पदस्थापना प्रबंध
संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के पद पर मानी जावेगी।

(5) राज्य शासन भाप्रसे (वेतन) नियमावली 2007 के नियम 9 के
अन्तर्गत प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम
के असंवर्गीय पद को प्रतिष्ठा एवं जिम्मेदारी में ऊपर दर्शित नियमों
के अनुसूची-II में सम्मिलित प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन के
संवर्गीय पद के समकक्ष घोषित करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अवनि वैश्य, मुख्य सचिव।

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अगस्त 2010

क्र. एफ-1(ए) 111-86-ब-2-दो.—इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-38-2010-ब-2-दो, दिनांक 9 अप्रैल 2010 द्वारा श्री संजय चौधरी, भापुसे, संचालक, खेल एवं युवा कल्याण, म. प्र. भोपाल को दिनांक 3 अप्रैल 2010 से दिनांक 10 अप्रैल 2010 तक की अवधि में व्यक्तिगत यात्रा पर, दुबई (यू.ए.एस.) प्रवास की निजी विदेश यात्रा की स्वीकृति प्रदान की गई है।

(2) राज्य शासन द्वारा उपर्युक्त आदेश के तारतम्य में श्री संजय चौधरी, को दिनांक 3 से 9 अप्रैल 2010 तक, कुल सात दिवस के अर्जित अवकाश का लाभ दिनांक 10 एवं 11 अप्रैल 2010 के विज्ञप्त अवकाश के साथ उठाने की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(3) श्री संजय चौधरी, भापुसे, के उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व प्राप्त हो रहे थे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजन कटोच, प्रमुख सचिव,

भोपाल, दिनांक 26 मार्च 2010

क्र. एफ-1(बी) 73-4-बी-4-दो.—राज्य शासन मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित राज्य सेवा परीक्षा 2005 के माध्यम से संयुक्त प्रतिस्पर्धा परीक्षा के परीणाम के आधार पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा के लिए निम्नलिखित अभ्यर्थियों को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की परिवीक्षा पर मध्यप्रदेश राज्य पुलिस सेवा संर्का में कनिष्ठ वेतनमान 15,600—39,100+5,400 में उप पुलिस अधीक्षक के पद पर नियुक्त करता है। नवनियुक्त अधिकारीगण आदेश प्राप्ति के 15 दिवस की अवधि में जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी सागर में प्रशिक्षण हेतु कार्यभार ग्रहण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त माने जावेंगे:—

क्र. लोक सेवा आयोग
द्वारा अनुशंसित
प्रमुख सूची का क्र.

(1) (2)
1 01

अभ्यर्थी का नाम
एवं पता

(3)

श्री महेश कुमार पाराशर, एफ 21
न्यू चम्बल कालोनी रि. तवर स्टेट
के समीप यूनिवर्सिटी रोड ठाड़ी
रोड ग्वालियर म. प्र. पिन-474011

(1)	(2)	(3)
2	02	श्री विनायक शर्मा, 6 मुरार इन्वलेब, गोला मंदिर ग्वालियर म. प्र. पिन—474005.

(2) उपरोक्त परिवीक्षाधीन अधिकारियों को परिवीक्षा अवधि में “संयुक्त आधारभूत प्रशिक्षण” प्रशासन अकादमी, भोपाल में प्राप्त कर परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा सेवायें समाप्त की जा सकेगी।

(3) नियुक्त अधिकारियों की परिवीक्षा अवधि, स्थाईकरण, वरिष्ठता, पदोन्नति आदि मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की समान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं मध्यप्रदेश पुलिस कार्यपालिक (राजपत्रित) सेवा भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2000 से शास्ति होगी। सेवा संबंधी अन्य मुद्रे शासन के वर्तमान नियमों तथा भविष्य में बनाए जाने वाले नियमों/निर्देशों के अन्तर्गत निराकृत किये जायेंगे।

(4) नियुक्त अधिकारियों की सेवाएं किसी भी समय एक माह की सूचना अथवा उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते देकर बिना कारण बताए समाप्त की जा सकती है। इसी प्रकार यदि वे अपने पद से त्याग-पत्र देकर शासकीय सेवा छोड़ना चाहें तो उन्हें भी एक माह का नोटिस देना आवश्यक होगा। एक माह पूर्व सूचना न देने की स्थिति में एक माह का वेतन व अन्य भत्ते जो वह उस समय प्राप्त कर रहे होंगे, नगद जमा करना होगा अन्यथा उक्त रकम राजस्व की बकाया की भाँति उससे वसूली की जावेगी।

(5) राज्य शासन के अधीन दिनांक 1-1-2005 अथवा इसके बाद नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेशन योजना लागू होगी।

(6) नियुक्त अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी असत्य पाये जाने पर सेवायें बिना किसी सूचना के तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जावेगी। उनके द्वारा इस संबंध में प्रस्तुत कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

(7) परिवीक्षाधीन अधिकारियों को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व एक “बॉण्ड” शासन के पक्ष में निष्पादित करना होगा कि परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न करने की दशा में अथवा प्रशिक्षण अवधि में सेवा छोड़ने पर उनकी परिवीक्षा अवधि में शासन द्वारा खर्च की गई राशि जिसमें वेतन भत्ते, यात्रा भत्ते एवं अन्य अग्रिम व्यय राशि शामिल होंगे, की वापसी के लिए उत्तरदायी रहेगा। “बॉण्ड” का प्रारूप संलग्न है, जिसकी पूर्ति कर जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकादमी, सागर में कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारी को अपनी उपस्थिति के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

(8) नवनियुक्त अधिकारी पूर्व में शासकीय, अद्दृशासकीय सेवा में सेवारत है, तो उन्हें अपने नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र,

अजांच एवं अमांग प्रमाण-पत्र शासन को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, अन्यथा उन्हें कार्यभार ग्रहण नहीं कराया जावे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश ओगरे, अवर सचिव,

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2010

फा. क्र. 3(ए)1-2001-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, एतद्वारा, श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, खण्डवा को अस्थाई रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. के. मिश्रा, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2010

फा. क्र. 1(बी)15-2004-इक्कीस-ब(दो).—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा-24 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद्वारा श्री जीवनसिंह पटेल पुत्र स्व. श्री हरीराम पटेल, अधिकारी को उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये होशंगाबाद सत्र खण्ड के होशंगाबाद राजस्व जिले के अतिःलोक अभियोजक पिपरिया नियुक्त करता है, तथापि यह नियुक्ति एक माह का सूचना पत्र देकर बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकती है।

भोपाल, दिनांक 23 अगस्त 2010

फा. क्र. 1(बी)31-2004-इक्कीस-ब(दो) संशोधन.—राज्य शासन द्वारा इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 सितम्बर 2009 के अनुक्रमांक 1 से 6 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:—

- (1) श्री निर्मल मंडलोई, अति. शास. अभिभाषक, इन्दौर, दिनांक 19-11-2008 से तीन वर्ष 18-11-2011 तक.
- (2) श्री गजराज सिंह सोलंकी, अति. शास. अभिभाषक, इन्दौर, दिनांक 19-11-2008 से तीन वर्ष 18-11-2011 तक.

(3) श्रीमती ज्योति तोमर, अति. शास. अभिभाषक, इन्दौर, दिनांक 19-11-2008 से तीन वर्ष 18-11-2011 तक.

(4) श्री हेमत मुंगी, अति. शास. अभिभाषक, इन्दौर, दिनांक 19-11-2008 से तीन वर्ष 18-11-2011 तक.

(5) श्री राघवेन्द्र सिंह बेस, अति. शास. अभिभाषक, इन्दौर, दिनांक 19-11-2008 से तीन वर्ष 18-11-2011 तक.

(6) श्री दिनेश हार्दिया, अति. शास. अभिभाषक, इन्दौर, दिनांक 8-7-2009 से तीन वर्ष 7-7-2012 तक। उपरोक्तानुसार पढ़ा जायें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. जे. खान, सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, बल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2010

क्र. डी-15-27-2010-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा, व्यापार तथा खाद्य विभाग की अधिसूचना क्रमांक 145/13 दिनांक 9 जून, 1953 द्वारा जिला मन्दसौर में स्थापित कृषि उपज मंडी समिति नीमच, मंडी क्षेत्र के निम्नलिखित स्थान पर बनी समस्त संरचना, अहाता, खुला स्थान या परिक्षेत्र को मंडी प्रागंण घोषित करती है:—

स्थान

नगर पालिका नीमच तहसील नीमच जिला नीमच के निम्नलिखित खसरा क्रमांक की 3.900 हेक्टर भूमि का क्षेत्र :—

क्रमांक	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)
(1)	(2)	(3)
1	बगीचा नं. 25 की भूमि	3.900
	कुल योग	3.900

जिसकी सीमाएँ

उत्तर में	-	केन्द्रीय विद्यालय परिसर.
दक्षिण में	-	वर्तमान मंडी प्रांगण.
पूर्व में	-	नगरपालिका की जमीन.
पश्चिम में	-	नगरपालिका की जमीन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2010

क्र. डी-15-27-2010-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 अगस्त 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

Bhopal, the 25th August 2010

No. D-27-2010-XIV-3—In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government here by declare the following areas including all structures, enclosure, open places or locality in the market area for which a market at Neemuch in Neemuch District has been established by the Commerce and Food Departments Notification No. 145/13, dated 9th June, 1953 shall be the market yard namely:—

PLACE

An area of 3,900 Hectars land of bellow mentioned Khasra number at Nagar Palica Neemuch in Tehsil Neemuch of District Neemuch.

S.No.	Khasra No.	Area (In Hectors)
(1)	(2)	(3)
1	Land of Garden No. 25	3.900
		<hr/> 3.900

BOUNDED BY

On the North by - Yard of Central School.
On the South by - Present Mandi Yard.

On the East by - Land of Nagar Palica.
On the West by - Land of Nagar Palica.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
B. S. BAGHEL, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2010

क्र. डी-15-27-2010-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (24 सन् 1973) की धारा 5 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 अगस्त 2010 के अधीन घोषित मंडी प्रांगण के संबंध में मंडी क्षेत्र नीमच के निम्नलिखित क्षेत्र को मंडी प्रांगण घोषित करती है:—

क्षेत्र

- (1) नगर नीमच, तहसील नीमच, जिला नीमच की सीमाओं के भीतर का क्षेत्र।
- (2) मंडी प्रांगण से 5 किलोमीटर की परिधि के भीतर आने वाले निम्नलिखित ग्रामों को समाविष्ट करता हुआ क्षेत्र:—
 - (1) दूंगलावदा, (2) जयसिंहपुरा, (3) हिंगोरिया,
 - (4) जमुनिया कला, (5) चौथाखेड़ा,
 - (6) दुल्हाखेड़ा, (7) मालखेड़ा, (8) बरुखेड़ा,
 - (9) चंगेरा, (10) लेवड़ा, (11) रामनगर, (12) धनेरियाकला, (13) तेलनखेड़ी, (14) जैतपुरिया,
 - (15) बागपिपलिया, (16) झांझारवाड़ा, (17) लांछ-लखन.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अगस्त 2010

क्र. डी-15-27-2010-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 25 अगस्त 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. बघेल, अपर सचिव.

Bhopal, the 25th August 2010

No. D--15-27-2010-XIV-3—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub section (2) of Section 5 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby declare that in the relation to the market yard declare *vide* this department notification even number dated 25th the August 2010 the following area of Neemuch shall be market yard namely:—

AREA

- (1) An area within the limit of Nagar Palika Neemuch in Tehsil Neemuch of District Neemuch.

(2) An area comprising of the following villages within the radius of 5 Kilometers from the market yard namely.

- (1) Dunglavada, (2) Jaisinghpura, (3) Hingodiya,
- (4) Jamuniya Kala, (5) Chouthakheda,
- (6) Dulhakheda, (7) Maalkheda,
- (8) Barukheda, (9) Changera, (10) Levda,
- (11) Ramnagar, (12) Dhaneriyakala,
- (13) Telankhedi, (14) Jaitpuriya,
- (15) Baagpipliya, (16) Jhanjharpwada,
- (17) Lanch-Lakhan.

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh,
B. S. BAGHEL, Addl. Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, मुख्य अभियन्ता (विद्युत् सुरक्षा) एवम् मुख्य विद्युत् निरीक्षक,

क-खण्ड, तृतीय मंजिल, सतपुड़ा भवन, भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 12 अगस्त 2010

क्र अ.मं.-6861-विठे-निरस्त-2010-11-1604-मु.अ.:—निम्नलिखित “अ” श्रेणी विद्युत् ठेकेदारों के यहां कार्यरत पर्यवेक्षक द्वारा कार्य छोड़ने के दिनांक से विद्युत् ठेकेदार अनुज्ञित निलम्बित हुई. विनियम 26(2) के तहत पुनः दूसरे पर्यवेक्षक की नियुक्ति नहीं किये जाने तथा लगातार 6 माह तक अनुज्ञित निलम्बित रहने के कारण विनियम 26(2) ग के तहत अनुज्ञित पर्यवेक्षक के कार्य छोड़ने के दिनांक से स्वतः निरस्त हो चुकी है. अतः निम्नांकित विद्युत् ठेकेदारों की कार्यपूर्ति/परीक्षण रिपोर्ट उनके पर्यवेक्षक द्वारा कार्य छोड़ने के दिनांक से अमात्य है :—

स. क्र.	वि.ठे. का नाम व पता	अनुज्ञित क्र.	पर्यवेक्षक के कार्य छोड़ने की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)
1	मे. पायोनियर इलेक्ट्रानिक्स, 12-ए, इलेक्ट्रानिक्स काम्पलेक्स, परदेशीपुरा, इन्दौर. (म. प्र.)	23/1166	22-11-2009
2	श्री जितेन्द्र सिंह, मे. अभिषेक इलै. वर्क्स, ए-12, आसरा एवेन्यु, कमला नगर, इन्द्रपुरी, भोपाल (म. प्र.)	28/1279	20-6-2009
3	श्री पुष्कर राज सच्चदेवा, इतवारा रोड, होशंगाबाद (म. प्र.)	32/1546	18-6-2009
4	श्री राज राजेश्वर सिंह गौर, प्रो. गौर लाइट हाउस, एन-10 प्रियदर्शिनी नगर, सरकूलर रोड, शिवपुरी. (म. प्र.).	5/1703	30-7-2009

(1)	(2)	(3)	(4)
5	श्री आर. के. राय, मे. आर. के. राय, कमलेश कुंज, नरसिंहपुर, उमरिया, (म. प्र.)	14/1837	4-8-2009
6	मे. पायोनियर पावर इंजीनियरिंग लिमि. सी.-43, श्री प्रताप भवन, तृतीय मंजिल, नबल किशोर रोड, लखनऊ (उ. प्र.).	यूएस./1853	1-6-2009
7	श्री सुदर्शनसिंह धाकड़ आ. श्री मूलचन्द धाकड़, 677, राजीव आवास विहार, स्कीम नं. 114, इंदौर (म. प्र.)	23/1887	31-1-2010
8	श्री बृजेश शर्मा, पी.एण्ड.टी. कालोनी के पास, ठाठीपुर, खालियर (म. प्र.).	03/1935	12-1-2010
9	श्री शिवम् बिहारी इन्टरप्राइजेज, जी-2/111, गुल मोहर कालोनी, भोपाल (म. प्र.)	28/1975	25-1-2010
10	श्री मृत्युंजय गुहा, मे. आर. एम. इन्टरप्राइजेज, इलआईजी-93, राजीव नगर, बी-सेक्टर, अयोध्या फेस-3, भोपाल.	28/1994	12-10-2009
11	श्री नन्द कुमार ढोले, 18/ए, ब्रज बिहार, वैशाली नगर के पास, इंदौर.	23/2003	31-12-2009
12	श्री रजत मीतल, 72, दशहरा मैदान, उज्जैन (म. प्र.).	18/2007	20-11-2009
13	श्री नीरज श्रीवास्तव आ. श्री देवेन्द्र श्रीवास्तव, मोती बाबा मंदिर के पीछे, फिजीकल रोड, शिवपुरी (म.प्र.).	05/2044	28-7-2009
14	श्री आशिष व्यास आ. श्री लीलाकांत, म. नं. 10, नीमच रोड, मनासा, नीमच (म. प्र.).	16/2057	15-12-2009
15	कु. रूपिन्दर जीत कौर भल्ला, एच-17/18, साईट नं. 1, सिटी सेन्टर, खालियर (म. प्र.).	03/2135	20-11-2009

(1)	(2)	(3)	(4)
16	श्री मोहनलाल आहूजा, द्वारा आहूजा इलै. एण्ड रेडियोज, 128/6, दरभंगा चौक, शहडोल (म.प्र.).	14/2218	20-11-2009
17	श्री दीपक राव-आ. श्री गंगाधर सोनटके, 20, भागीरथपुरा, इन्दौर (म.प्र.).	23/2257	27-8-2009
18	श्री नामदेव गायकबाड़ आ. श्री विट्ठलराव जी, प्रो. एन. जी. इलै. एण्ड कॉन्ट्रैक्टर्स, बी एम-189, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, पीथमपुर, धार (म.प्र.).	22/2293	13-12-2009
19	श्री साबू खान, वन खण्डेश्वर स्कूल के पास, डबरा ग्वालियर (म.प्र.).	03/2322	7-2-2009
20	श्री राजकुमार, प्रो. राज इन्टरप्राइजेज, 602-डी-17, वार्ड-3, मैहरोली, नई दिल्ली	यूएस/2332	19-11-2009
21	श्री सुभाष सिंह भद्रौरिया आ. श्री जौहरी सिंह, ग्राम मानहढ, जिला भिण्ड (म.प्र.).	02/2339	1-11-2009
22	मे. एस. आर. गुप्त, ज्योति भवन के पास, मिश्रा भवन, सागर (म.प्र.).	9/2344	31-7-2009
23	श्री रौनक हुरकर प्रो. श्रीकटरा इलै. कां., सर्वोदय चौराहा, बीना, जिला सागर (म.प्र.).	09/2372	31-7-2009
24	श्री बैंकटेश्वरसिंह रघुवंशी आ. श्री सूरजप्रकाश, आनन्दपुर रोड, लटेरी, विदिशा (म.प्र.).	27/2380	15-12-2009
25	श्री मोहम्मद हसन, प्रो. नेशनल एलिवेटर्स, 16 नूरमहल रोड, भोपाल.	28/2386	12-7-2009
26	श्री प्रेम कुमार, प्रो. एन. ई. एम. इंजीनियर्स, ए-1/23, सेक्टर-7, रोहनी, दिल्ली.	यूएस/2508	2-7-2009
27	श्री जीतमल रुवाला आ. श्री जगन्नाथ, ग्राम रूपादेल, पो. मन्डावर, जिला राजगढ (म.प्र.).	31/2587	9-7-2009
28	श्री रामराजासिंह यादव आ. श्री रघुवीरसिंह, ग्राम पीरोठ, जिला शिवपुरी (म.प्र.).	05/2688	10-10-2009
29	श्री भेरुसिंह तमोलिया, ग्राम मोलाखेड़ी, इछावर, सीहोर (म.प्र.).	29/2693	31-3-2009

(1)	(2)	(3)	(4)
30	श्री मनोज श्रीमाल, बादल इन्टरप्राइजेज, बोहरा मस्जिद चौक, गुना.	06/2746	16-2-2009
31	श्री दिनेश नागर, 1-एफ सी वैभव नगर, कनाडिया रोड, इन्दौर.	23/2765	28-2-2009
32	श्री ओमप्रकाश कौशल, प्रो. कौशल इलै., नगरपालिका के पीछे, महू, नीमच रोड, पीथमपुर, धार (म.प्र.).	22/2768	14-2-2009
33	श्री भूपेन्द्रनाथ सिंह, प्रौ. मे. स्टार इलै., मेन रोड, बैठन, सीधी (म.प्र.).	15/2787	23-3-2009
34	श्री रिंगवेद मिश्रा, पोस्ट अफिस के पास, घोघर, रीवा (म.प्र.).	13/2795	28-2-2009
35	श्री दिलीप तारन, हनुमान नगर, बिरला नई बस्ती, पोली. कालोज के पास, सतना (म.प्र.).	12/2796	9-6-2009
36	श्री अभिषेक कौशल आ. श्री दूलनदास, 63/13, अभिषेक नगर, नानाखेड़ा, उज्जैन (म.प्र.).	18/2798	30-4-2009
37	श्री राजेश कुमार शर्मा आ. श्री रामलखन शर्मा, रामानुज कालोनी, वाण गंगा रोड, संतोष शुक्ला के पास, शहडोल (म.प्र.).	14/2803	13-4-2009
38	श्री प्रमोद कुमार सक्सेना आ. श्री शिवचरण सक्सेना, ब्यावरा, राजगढ़ (म.प्र.).	31/2813	4-6-2009
39	मे. सौमया इलेक्ट्रिकल एण्ड मेकेनिकल वर्क्स, उर्हट, जिला रीवा (म.प्र.).	13/2820	26-2-2009
40	मे. केम्ब्रीज इण्डस्ट्रीज, एलआई वाटर टंकी के पास, सिंगरौली, जिला सीधी (म.प्र.).	15/2829	17-5-2009
41	श्री भोपाल सिंह पवार आ. श्री कमलासिंह पवार, ग्राम रिठवाड, नसरुल्लागंज, सीहोर (म.प्र.).	29/2834	8-5-2009
42	श्री नागाजी ट्रेड लिंक, प्रो. श्री रमेशचन्द्र झा, गांधी नगर, पोरसा, मुरैना.	1/2854	30-8-2009
43	मे. आंतरिक, 2, अरिहन्त काम्पलेक्स, रिंग रोड नं. 1, रायपुर (छ.ग.).	यूएस/2870	30-5-2009

(1)	(2)	(3)	(4)
44	श्री शौश्क खान, प्रो. एस. के. इले., 17 सेन्ट्रल लैन्सिङ ग्राउण्ड, हतबारा, भोपाल (म.प्र.).	28/2884	15-1-2010
45	श्री भूषेन्द्र शर्मा आ. श्री कृष्ण वल्लभ शर्मा, कायस्थ मोहल्ला, बडोदा, जिला शाजापुर (म.प्र.).	30/2888	9-7-2009
46	श्री कृष्णकांत पाठक, 147/1, मनमौहन नगर, जबलपुर (म.प्र.).	33/2893	22-3-2009
47	जय अच्छे कंसट्रक्शन कम्पनी, प्रो. श्री दावासम शर्मा, कर्हैथा ज्वेलर्स, अम्बा, मुरैना.	1/2896	1-7-2009
48	मे. ट्रेडिंग इंजीनियर्स, 560, सदर ब्याजार, झांसी (उ.प्र.).	यूएस/2899	22-3-2009
49	श्री रामदयाल धाकड़, ग्राम परेखा, पो. टोडेस, जिला गुना (म.प्र.).	6/2902	1-7-2009
50	श्री अशोक लोटे आ. श्री रामभाऊ लोटे, 327, इथाम नगर एनेक्स, इन्दौर (म.प्र.).	23/2903	14-3-2009
51	श्री मोहित गौर आ. श्री संतोष गौर, मिसरौद, समलीला मैदान, भोपाल (म.प्र.).	28/2908	5-8-2009
52	श्री विक्रम श्रीवास्तव आ. श्री महेश प्रसाद, नाइयों की गली, पुरानी टेहरी, टीकमगढ़ (म.प्र.).	10/2915	13-9-2009
53	श्री मोहनसिंह हाड़ा, सुठालिया, तह. ब्याबरा, जिला राजगढ़ (म.प्र.).	31/2917	16-8-2009
54	श्री हेमकांत शर्मा आ. श्री विजय शर्मा, सी एल 174, दीनदयाल नगर, ग्वालियर (म.प्र.).	3/2919	20-9-2009
55	श्री उमेश प्रसाद पाठक, द्वारा हरसिंह इन्टरप्राइजेज, मठकरी कालोनी, ए.बी. रोड, गुना (म.प्र.).	06/2922	12-9-2009
56	श्री अधिषेक मंगल आ. श्री विष्णु कुमार गुप्ता, द्वारा विकास कंसट्रक्शन, महल कालोनी, शिवपुरी.	06/2923	20-10-2009
57	श्री गिरीश कुमार गुप्ता, द्वारा वैष्णवी ट्रेडर्स, वर्मा कालोनी, ए. बी. रोड, शिवपुरी.	05/2924	21-9-2009
58	मे. एन. के. आर. प्रोजेक्ट्स, प्रो. एन. करुणाकर रेड्डी, कुकार. पल्ली, हैदर नगर, हैदराबाद.	यूएस/2926	26-6-2009

(1)	(2)	(3)	(4)
59	श्री अजय पाठक आ. श्री जगदीश नारायण, 42, खिड़किया मोहल्ला, भिण्ड (म.प्र.).	02/2932	16-8-2009
60	श्री रामानन्द मिश्रा आ. श्री राम भजन, मिश्रा सदन, महावीरपुरा, मुरैना (म.प्र.).	01/2936	6-10-2009
61	श्री करोड़ीसिंह आ. श्री निर्भयसिंह, ग्राम माडल, तह. कुरवाई, जिला विदिशा (म.प्र.).	27/2941	17-9-2009
62	श्री पण्य यादव आ. श्री मोहब्बतसिंह, ग्राम सोनपुरा, कोलारस, जिला शिवपुरी (म.प्र.).	05/2942	1-11-2009
63	श्री इसरार अहमद, 193, खिजराबाद कालोनी, मेन रोड, खजराना, इन्दौर.	23/2943	11-2-2009
64	श्री रामबली वैश्य, द्वारा आर. बी. इलेक्ट्रिकल्स, सेमुआर, पो. गोंदवली, जिला सिंगराँली (म.प्र.).	15/2945	22-10-2009
65	श्री जितेन्द्र कुमार श्रीवास्तव, ग्राम/पो. बासातारखेड़ा, जिला दमोह (म.प्र.).	11/2946	5-10-2009
66	मे. बिन्दु कंसट्रक्शंस, एच-77, भवानीपुरम, मधुरा नगर, हैदराबाद.	यूएस/2949	5-10-2009
67	श्री देवेन्द्र शर्मा, ग्राम दतावली, पो. सुरुपुरा, जिला भिण्ड (म.प्र.).	02/2952	4-11-2009
68	श्री राजकुमार राजपूत आ. श्री स्वरूपसिंह, पिपरई पावर हाउस के पास, मुँगावली, जिला अशोक नगर (म.प्र.).	19/2954	30-11-2009
69	श्री दिनेश आ. श्री फूलचंद पाराशर, 44/7, राधांजल, देवास (म.प्र.).	20/2960	20-11-2009
70	श्री राजेन्द्र शर्मा, छोटा लोहारपुरा, पुरानी शिवपुरी (म.प्र.).	05/2962	9-11-2009
71	श्री देवराज शर्मा, प्रो. देव कंसट्रक्शन एण्ड इले., बड़ा बाजार, नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र.).	31/2967	12-1-2010
72	श्री राकेश कुमार शर्मा आ. श्री मोहनलाल शर्मा, करकरी इले. कम्पनी, 111-ए, रामनगर, एक्सटेंशन, कृष्णा नगर, दिल्ली.	यूएस/2968	4-1-2010

(1)	(2)	(3)	(4)
73	श्री राकेश कुशवाह, सुठलिया (परलापुरा) तह. ब्यावरा, जिला राजगढ़.	31/2985	10-12-2009
74	मे. फैडर्स लायड कार्पोरेशन लिमि., 24-ए, सेक्टर-ई, औद्योगिक क्षेत्र गोविन्दपुरा भोपाल (म.प्र.).	28/2986	13-10-2009
75	श्री अशोक कुमार ग्रोवर आ. श्री भगवानदास, पम्पी मोहल्ला, गुरुद्वारे के सामने, नरसिंहगढ़, जिला राजगढ़ (म.प्र.).	31/2989	30-12-2009
76	श्री प्रमोद कुमार भट्ट, ग्राम व पो. लिधौरा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.).	10/2994	05-11-2009
77	श्री अखिलेश कुमार मिश्रा, करौदिया, दक्षिण टोला, सीधी (म.प्र.).	15/2997	31-12-2009
78	श्री अखिलेश कुमार शर्मा आ. श्री के. के. शर्मा, बीएम-48, दीनदयाल नगर, भिण्ड रोड, ग्वालियर (म.प्र.).	03/3006	05-1-2010
79	श्री संतोषसिंह गौर आ. श्री जयपालसिंह गौर, द्वारा मे. एस. के. इन्टरप्राइजेज, 148, कुच्चारबाड़ी, इन्दौर (म.प्र.).	23/3029	31-12-2009
80	श्री प्रदीप उपाध्याय आ. श्री मदनलाल, प्रो. प्रसीजन इंजीनियर्स, वीर पार्क रोड, नीमच (म.प्र.).	21/3036	13-3-2009
81	श्री अमित शुक्ला, बीटीआई कालोनी, आकाशवाणी केन्द्र के सामने, बड़ी खेरी, मण्डला (म.प्र.).	45/3042	31-7-2009
82	श्री प्रदीप दुबे, वार्ड नं. 5, खेरियापुरा, बैरसिया, भोपाल (म.प्र.).	28/3087	14-12-2009
83	श्री आनन्द पाण्डेय आ. श्री प्रभात पाण्डेय, प्रताप वार्ड, लिंक रोड, टिकारी, बैतूल (म.प्र.).	34/3089	31-5-2009
84	श्री सददाम हुसैन खान, एमआईजी-204/1, इन्द्रा नगर, मण्डीदीप, रायसेन (म.प्र.).	26/3110	16-6-2009
85	श्री अभिजीत सिंह, पी. एण्ड टी. चौराहा, 110 जीवनछाया, एल.आई.जी. बिल्डिंग, भोपाल (म.प्र.).	28/3140	30-9-2009
86	श्री प्रवीण किशोर मिश्रा, बी-11, आधारताल, रामागोविन्द पैलेस, सिरमौर चौराहा, रीवा (म.प्र.).	13/3197	30-11-2009
87	मे. प्राची इंफ्रास्ट्रक्चर प्राय. लिमि., जी-1, मंगलम होम-24, अनूपपुर, इन्दौर (म.प्र.).	23/3199	31-8-2009

क्र. अ.मं.-6861-विठे-निरस्ती-2010-11-1606-मु.अ.—
मध्यप्रदेश अनुज्ञापन मण्डल (विद्युत) विनियम, 1960 के विनियम,
29 के प्रावधानानुसार निम्नलिखित “अ” श्रेणी विद्युत ठेकेदारों द्वारा
दिनांक 30 जून 2010 तक आगामी वर्ष 2010-2012 के लिए विद्युत
ठेकेदारी अनुज्ञि नवीनीकरण नहीं कराई जाने के फलस्वरूप उनकी
विद्युत ठेकेदारी अनुज्ञि स्वतः रद्द हो चुकी है। अतः निम्नलिखित
विद्युत ठेकेदारों के द्वारा दिये गये विद्युत अधिकारों संबंधी सभी
कार्यपूर्ति/परीक्षण रिपोर्ट दिनांक 1 जनवरी 2010 से अमान्य होगी:—

**क्रमांक विद्युत ठेकेदार का नाम
व पता**

(1)	(2)	(3)
1	श्री डी. संजीव पाल, द्वारा रायल इंटरप्राइजेज, सांगौर, जिला धार (म.प्र.).	702-“अ”
2	श्री रामचन्द्र सामरिया, हरसिंही दरवाजा, उज्जैन (म.प्र.).	725-“अ”
3	श्री धनीराम कुशवाह, ग्राम/पोस्ट बगरौनी, जिला शिवपुरी (म.प्र.).	845-“अ”
4	श्री कमल कुमार शास्त्री, प्रो. हिमांशु इंटरप्राइजेज, 2/1, लोधीपुरा इन्डौर (म.प्र.).	863-“अ”
5	श्री संजीव दत्ता, ई-3/33, अरेरा कालोनी (महावीर नगर), भोपाल (म.प्र.).	893-“अ”
6	श्री भवानी शंकर दिसोरिया, डुप्लेक्स क्र. 4, होटल कासमश के सामने, महु रोड, रतलाम (म.प्र.).	909-“अ”
7	श्री अनिल गोयल, रजत कंसट्रक्शन एण्ड सप्लायर्स, 112, नया बाजार, नीमच सिटी, नीमच (म.प्र.).	16/1119-“अ”
8	श्री शौकत अंसार फारूकी, ए-31/001, शवाय अपार्टमेंट, हाउसिंग बोर्ड कालोनी, कोहफिजा, भोपाल (म.प्र.).	28/1425-“अ”
9	श्रीमती सुनीता शर्मा, प्रो. ईस्टन इंजी., 214/2 ए साकेत नगर, भोपाल (म.प्र.).	28/1752-“अ”

(1)	(2)	(3)
10	श्री गोविन्द गुप्ता आ. श्री जमनलाल, चित्रकूट कृषि उपज मण्डी के सामने, सुसनेर, जिला शाजापुर (म.प्र.).	26/1778-“अ”
11	श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव, आ. श्री रामस्वरूप, 5, सिविल लाइन, सामर (म.प्र.).	10/1814-“अ”
12	श्री ए. के. भादुड़ी, 589/सी. नेपियर टाउन, गोरखपुर जबलपुर (म.प्र.).	33/1824-“अ”
13	श्री आर. जी. गुप्ता, ई-407, मीनाल रेसीडेंसी, जे. के. रोड, भोपाल (म.प्र.).	28/1841-“अ”
14	श्री लक्ष्मीनारायण भेरूलाल पस्मार, 10, अलकापुरी, उद्धीषण मार्ग, उज्जैन (म.प्र.).	18/1873-“अ”
15	श्री इन्द्रजीत सिंह घुरैया, सोएच-38, दीन दयाल नगर, खालियर (म.प्र.).	03/1884-“अ”
16	श्री मधुसूदन चौरे आ. श्री श्यामसंब 44, प्रेमचन्द मार्ग, नानेबाड़ी, धार (म.प्र.).	22/1895-“अ”
17	श्री रघुवीर संधु आ. श्री ओंकार सिंह, 345-एओ/स्कीम नं. 74 सी., ए.बी.रोड, विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.).	23/1898-“अ”
18	श्री आर. पी. श्रीवास्तव, आ. श्री बी. एल. श्रीवास्तव, एच.आई.जी. 54, स्कीम नं. 54, विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.).	23/1910-“अ”
19	श्री अनिल अहलवालिया, प्रो. फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, एफ-8/ए, विजय ब्लॉक विकास मार्ग, दिल्ली.	यूएस/1952-“अ”
20	श्री अशोक कुमार भसीन, मे. सिंगमा कंसट्रक्शन, 52-ए शेक्सपीयर सारनी, कलकत्ता.	यूएस/1954-“अ”

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
21	श्री संजय निगम, 1292/2, जी.आर.सी. मेस के सामने, नर्मदा रोड, जबलपुर (म.प्र.).	33/1966-“अ”	32	श्री विरेन्द्र शर्मा, आ. श्री सत्यनारायण शर्मा, नई आबादी रोड, गरोठ, जिला मंदसौर (म.प्र.).	16/2437-“अ”
22	मे. गेलेक्सी ग्रुप, 150. नारायण नगर, होशंगाबाद रोड, भोपाल (म.प्र.).	28/2111-“अ”	33	श्री कृष्णकांत शर्मा, आ. श्री विजयकुमार, गायत्री विहार कालोनी, पिंटो पार्क, मवालियर (म.प्र.).	03/2451-“अ”
23	श्री अम्बाराम पड़ियार आ. श्री कनीराम, ग्राम केशरपुर, तह. जावद, जिला नीमच (म.प्र.).	16/2173-“अ”	34	श्री जय कुमार जैन आ. श्री रामनारायण वार्ड-12, मेन रोड, गोरमी, भिण्ड (म.प्र.).	02/2454-“अ”
24	श्री सुनील व्यास आ. श्री कल्याणमल, प्रो. टेक्नोमेक इंजी. 13, सेक्टर-ए, स्कीम नं. 18, विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.).	23/2404-“अ”	35	श्री सुरेन्द्र सिंह ठाकुर, सी-74, निर्मला निवास, पटेल नगर, रायसेन रोड, भोपाल (म.प्र.).	28/2456-“अ”
25	श्री रोहित नगाइच, दर्जी ओली, जामदार खाना, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).	03/2406-“अ”	36	श्री प्रवीण कुमार मेहता आ. श्री प्रेमनारायण, 118, रेस्ट हाउस रोड, सोनकच्छ, देवास (म.प्र.).	20/2457-“अ”
26	श्री रामरतन यादव आ. श्री अंगदसिंह यादव, दीन दयाल मार्ग, कैलारस, जिला मुरैना (म.प्र.).	01/2411-“अ”	37	श्री बृजमोहन शर्मा आ. श्री शिवनारायण ग्राम चन्द्री, जिला अशोक नगर (म.प्र.).	19/2464-“अ”
27	श्री मातादीन रावत, आ. श्री रामदयाल रावत, सुनहरा रोड, सबलगढ़, मुरैना (म.प्र.).	01/2422-“अ”	38	मे. एनरकोन (इंडिया) लिमि., बी-58-2, द्वितीय मंजिल, चेतक ब्रिज के पास, भोपाल (म.प्र.).	28/2475-“अ”
28	श्री अतुल बंसोडे आ. श्री सुरेश बंसोडे CHD-644, सेक्टर-सी, सुखलिया, इन्दौर (म.प्र.).	23/2428-“अ”	39	श्री अमित गुप्ता आ. श्री अजय गुप्ता, गांधी नगर, श्योपुर (म.प्र.).	04/2478-“अ”
29	श्री रवि तिवारी, दत्त साहब का बाड़ा, न्यू ब्लाक, शिवपुरी (म.प्र.).	05/2433-“अ”	40	श्री सुमत प्रकाश जैन, रिषी गैस एजेन्सी के पास, शंकर कालोनी, शिवपुरी (म.प्र.).	05/2481-“अ”
30	श्री अब्दुल नदीम , आ. श्री अब्दुल अजीज, 71, चित्तेरा बाखल, उज्जैन.	18/2434-“अ”	41	श्री शैलेन्द्र शीतलानी आ. श्री बंशीलाल, द्वारा नीता इन्टरप्राइजेज, 109, इन्द्रलोक कालोनी, इन्दौर (म.प्र.).	23/2483-“अ”
31	श्री अनिल कुमार जैन, आ. श्री चांदमल जैन, 4, जवाहर मार्ग, नागदा, उज्जैन (म.प्र.).	18/2436-“अ”	42	श्री रमेश प्रसाद सोनी, 622/2, आनन्द कालोनी, चेरीताल, जबलपुर (म.प्र.).	33/2489-“अ”
			43	श्री विनोद इंगले आ. श्री लक्ष्मण राव, आनन्द इले., 41, सुभाष नगर, बुहानपुर (म.प्र.)	41/2494-“अ”

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
44	श्री जी. एस. झा, एम.आई.जी. 139 (आर-2), अवधपुरी कालोनी, जबलपुर (म.प्र.).	33/2496-“अ”	56	श्री शरद गुप्ता आ. श्री रामजीलाल, द्वारा जयप्रकाश इन्टरप्राइजेज, जी.जी. 37, स्कीम नं. 54, विजय नगर, इन्दौर (म.प्र.).	23/2563-“अ”
45	श्री राजेश पुर्विया आ. श्री अतरसिंह, 454-बी.बी. गिरी मार्ग, पिपरिया, होशंगाबाद (म.प्र.).	32/2497-“अ”	57	श्री किशोर कुमार रावत, आ. श्री जी. पी. रावत, एचआईजी-114, दीन दयाल धाम, पड़ारा, रीवा (म.प्र.).	13/2580-“अ”
46	श्री दिनेश कुमार अग्रवाल, आ. श्री ओमप्रकाश, एल.आई.जी.-119, इन्द्रा नगर, मण्डीदीप, रायसेन (म.प्र.).	26/2499-“अ”	58	श्री राजेश शर्मा आ. श्री कैलाशचन्द्र, 2153-डी, सुदामा नगर, इन्दौर (म.प्र.).	23/2584-“अ”
47	मे. हिमांशु ट्रेडिंग, बी-43, अलकापुरी, भोपाल (म.प्र.).	28/2500-“अ”	59	श्री रमेशचन्द्र शर्मा, 1986/4, प्रेम नगर, बेदी टाइपिंग के पास, मदन महल, जबलपुर (म.प्र.).	33/2585-“अ”
48	श्री अमरनाथ पाण्डेय, 212, अलंकार चेम्बर्स, ए/2, रतलाम कोठी, ए.बी. रोड, इन्दौर (म.प्र.).	23/2523-“अ”	60	श्री पारस कुमार भट्ट, ग्राम व पोस्ट बड़ा लिधौरा, जिला टीकमगढ़ (म.प्र.).	10/2588-“अ”
49	श्री पुनीत शर्मा आ. श्री मोहन शर्मा, केशव कालोनी, मुरैना (म.प्र.).	01/2533-“अ”	61	श्री रामसलोने शर्मा, 264, सागरा कला, वार्ड क्र. 7, हनुमना, रीवा (म.प्र.).	13/2603-“अ”
50	श्री कमल किशोर गुप्ता, मे. जगदम्बा आटो ट्रेड पार्ट, बड़ौदा रोड, श्योपुर (म.प्र.).	04/2539-“अ”	62	श्री धर्मेन्द्र कोठारी, प्रो. मे. नाकोड़ा इलेक्ट्रिकल्स एण्ड कार्ट्रेक्टर्स, नेहरू पार्क रोड, अशोक नगर (म.प्र.).	19/2604-“अ”
51	श्री मनोज नायर, 6 गीत बंगला फेस-1, जे. के. रोड, भोपाल (म.प्र.).	28/2544-“अ”	63	श्री धर्मेन्द्र रघुवंशी, तुलसी सरोवर कालोनी, अशोक नगर (म.प्र.).	19/2606-“अ”
52	श्री शैलेन्द्र गर्ग, बी-301, बी-ब्लॉक, सुखशांति अपार्टमेन्ट, कोलार रोड, भोपाल (म.प्र.).	28/2550-“अ”	64	श्री विक्रम सिंह बघेल, नरेन्द्र नगर, क्षत्री रोड, वूल हाउस के पीछे, शिवपुरी (म.प्र.).	05/2610-“अ”
53	श्री अनिल सरीन, शांति नगर, शिवपुरी (म.प्र.).	05/2551-“अ”	65	मे. सुरेश टेक्नो इंटरप्राइजेस, 509, एकता बिहार कालोनी, मदन महल, जबलपुर (म.प्र.).	33/2623-“अ”
54	श्री विष्णुराव खाण्डेकर, सोनी कालोनी, गुना (म.प्र.).	06/2559-“अ”	66	श्री निमलेश कुमार शर्मा, शिव इलेक्ट्रिकल्स, ग्राम/पोस्ट अकोड़ा, जिला भिण्ड (म.प्र.).	02/2626-“अ”
55	श्री कमलेश अग्रवाल, आ. श्री लक्ष्मीनारायण, के. एम. कंस्ट्रक्शन, सी-15/1, रिंची नगर, उज्जैन (म.प्र.).	18/2561-“अ”			

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
67	श्री लोकमानसिंह मार्कों, 81, दीप नगर, रिवोपुस्ट् के पास, खजूरीकला, भोपाल (म.प्र.).	28/2630-“अ”	77	श्री गोविन्दप्रसाद दुबे, संत निरंकारी भवन के पीछे, विछिया जबलपुर रोड, मण्डला (म.प्र.).	38/2675-“अ”
68	श्री कामताप्रसाद पाण्डेय, प्रो. के. पी. इलेक्ट्रिकल्स, घोल फैक्ट्री, बडौदी, ए. बी. रोड, शिवपुरी (म.प्र.).	05/2632-“अ”	78	श्री नवीन शास्त्री आ. श्री मोहनलाल शास्त्री, 12, राधाकृष्ण टावर, इन्द्रा काम्पलेक्स, इन्दौर (म.प्र.).	23/2676-“अ”
69	श्री शिवेन्द्र सिंह राठौड़, एम.आई.जी-8, शिवा नगर, छत्ती रोड, शिवपुरी (म.प्र.).	05/2640-“अ”	79	श्री ललित गुर्जर आ. श्री श्रीराम गुर्जर, ग्राम चारखेड़ा, टिमरनी, जिला हरदा (म.प्र.).	42/2679-“अ”
70	श्री राजेश रघुवंशी, ग्राम गिन्दोरा, पो. एजवारा, जिला शिवपुरी (म.प्र.).	05/2645-“अ”	80	मे. रानू इंस्टरप्राइजेज, प्रो. श्रीमती मधु यादव, कैलाश नगर, गवालियर (म.प्र.).	03/2682-“अ”
71	श्री रामनरेश शर्मा, ए/14, तुलसी परिसर, अवधपुरी, कालीबाड़ी, भोपाल (म.प्र.).	28/2648-“अ”	81	श्री बी. एल. टूपालिया, आनन्द कुंज, तामिया, छिन्दवाड़ा (म.प्र.).	26/2875-“अ”
72	श्री उदित कुमार दुबे, ग्राम समोन, तह. बावर्ड, जिला होशंगाबाद (म.प्र.).	32/2650-“अ”			ए. के. दुबे, सचिव.
73	श्री शिवराजसिंह मीना, रोचा कलेक्शन, बीनागंज, जिला गुना (म.प्र.).	06/2665-“अ”			
74	श्री के. के. जैन, ए-14, सैनिक सोसायटी, शारदा कॉम्प्लेक्स, शनिक नगर, जबलपुर (म.प्र.).	33/2668-“अ”			
75	श्री असित दीक्षित, आ. श्री रजनीकांत दीक्षित, जयमलसिंह कालोनी, शास्त्री वार्ड, सोहागपुर, जिला होशंगाबाद (म.प्र.).	32/2669-“अ”			
76	श्री तेजपाल जावरिया, आ. श्री नारायणलाल जी, एम.आई.जी.-8, हा. बोर्ड कालोनी, इंगोरिया रोड, नागदा, उज्जैन (म.प्र.).	18/2670-“अ”			

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग

“निर्वाचन भवन”

58 अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.)

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2010

आदेश

क्र. एफ-67-266-10-तीन-2495.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा,

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997” मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत चंदिया, जिला उमरिया के आम निर्वाचन में श्री गुलजारी कोल, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे, नगर पंचायत चंदिया, जिला उमरिया के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 को सार्वजनिक अवकाश होने के कारण 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी उमरिया के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उमरिया के पत्र अ. 223/न.पा.नि./व्यय लेखा/09, दिनांक 23 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री गुलजारी कोल द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री गुलजारी कोल को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 16 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उमरिया के माध्यम से दिनांक 9 मार्च 2010 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था, नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

श्री गुलजारी कोल को नोटिस दिनांक 9 मार्च 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 24 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था, किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। नोटिस की तामीली उपरांत कलेक्टर, उमरिया ने अपने पत्र दिनांक 14 मई 2010 में लेख किया कि “श्री गुलजारी कोल को जारी कारण बताओ नोटिस की तामीली के पश्चात् भी उक्त अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा उल्लिखित अवधि तक प्रस्तुत नहीं किया है।” आयोग द्वारा दिनांक 22 जून 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 7 जुलाई 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया। सूचना-पत्र की तामीली 5 जुलाई 2010 को हो गई थी, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री गुलजारी कोल को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत चंदिया, जिला उमरिया का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 5 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता।/-

(रजनी उड्के)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2010

आदेश

क्र. एफ-67-265-10-तीन-2493.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वर्य या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997” मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत नौरोजाबाद, जिला उमरिया के आम निर्वाचन में श्री अजय कोल, अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे, नगर पंचायत नौरोजाबाद, जिला उमरिया के निर्वाचन

का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी उमरिया के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उमरिया के पत्र क्र. 223/न.पा.नि./व्यय लेखा/09, दिनांक 23 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री अजय कोल द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री अजय कोल पिता श्री दुलारे कोल को कारण बताओ सूचना पत्र क्र. दिनांक 16 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उमरिया के माध्यम से दिनांक 20 मार्च 2010 को तामील कराया गया. कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था. नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा.

श्री अजय कोल को नोटिस दिनांक 20 मार्च 2010 को तामील कराया गया. अतः उनको दिनांक 4 अप्रैल 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था. किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया. नोटिस की तामीली उपरांत कलेक्टर, उमरिया ने अपने पत्र दिनांक 14 मई 2010 में लेख किया कि “श्री अजय कोल को जारी नोटिस की तामीली के पश्चात् भी उक्त अभ्यर्थी द्वारा अपना निर्वाचन व्यय लेखा उल्लिखित अवधि तक प्रस्तुत नहीं किया है.”. आयोग द्वारा दिनांक 22 जून 2010 को श्री अजय कोल को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 7 जुलाई 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया. अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित हुए, किन्तु उनके द्वारा विहित समयावधि में लेखे प्रस्तुत करने में असफल रहने हेतु प्रस्तुत कारण संतोषप्रद नहीं पाए गए.

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं. अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है.

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री अजय कोल पिता दुलारे कोल को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत नौरोजाबाद, जिला उमरिया का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख

से 5 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है.

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार, हस्ता/-

(रजनी उड़के)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल.

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2010

आदेश

क्र. एफ-67-81-10-तीन-2497.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा.

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997” मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है. उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्मा में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा.

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् नागदा, जिला उज्जैन के आम निर्वाचन में सुश्री निशा चौहान, अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं. नगरपालिका परिषद् नागदा, जिला उज्जैन के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, आपको अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन के पत्र क्र. स्था.निर्वा./10/385, दिनांक 21 जनवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री निशा चौहान द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया.

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री निशा चौहान, को कारण बताओ सूचना

पत्र क्र. एफ 67-81-2010-तीन-814, दिनांक 2 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी उज्जैन के माध्यम से दिनांक 18 फरवरी 2010 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

सुश्री निशा चौहान, को नोटिस दिनांक 18 फरवरी 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 5 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। किन्तु उनके द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया। नोटिस की तामीली उपरांत कलेक्टर, उज्जैन ने अपने पत्र दिनांक 19 अप्रैल 2010 में लेख किया कि सुश्री निशा चौहान (नीतू) के द्वारा आज दिनांक तक कोई व्यय लेखा/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गये। आयोग द्वारा दिनांक 15 जून 2010 को सुश्री निशा चौहान (नीतू) को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 26 जून 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया। अभ्यर्थी स्वयं उपस्थित हुई, उन्होंने अभ्यावेदन एवं निर्वाचन व्यय लेखों का रजिस्टर प्रस्तुत करते हुए अभ्यावेदन में लेख किया कि “चुनाव का लेखा जोखा प्रस्तुत नहीं किया गया यह मेरी भूल रही कि अज्ञानतावश मैं अपने कागज जमा नहीं करा पाई।” अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया कि वे विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा दाखिल करने में असफल रहीं। उनके द्वारा प्रस्तुत कारण संतोषप्रद नहीं पाए गए।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री निशा चौहान (नीतू) को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर नगरपालिका परिषद् नागदा, जिला उज्जैन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 3 वर्ष (तीन वर्ष) की कालावधि के लिए निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,
हस्ता/-

(रजनी उड्के)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2010

आदेश

क्र. एफ-67-258-10-तीन-2499.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997” मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्म में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत अमरपाटन, जिला सतना के आम निर्वाचन में श्री मनोज कुमार अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। नगर पंचायत अमरपाटन के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पत्र क्र. 594/स्था.निर्वा./न.पा./2009-10., दिनांक 26 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार श्री मनोज कुमार द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर श्री मनोज कुमार को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 29 मार्च 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के माध्यम से दिनांक 13 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित

अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

श्री मनोज कुमार को नोटिस दिनांक 13 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 28 अप्रैल 2010 तक अभ्यावेदन/उत्तर प्रस्तुत करना था। नोटिस की तामीली उपरांत कलेक्टर, सतना ने अपने पत्र दिनांक 26 मई 2010 में लेख किया कि “**श्री मनोज कुमार** ने तत्समय में कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने के उपरांत भी आज दिनांक तक निर्धारित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।” आयोग द्वारा दिनांक 6 जुलाई 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 22 जुलाई 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली दिनांक 17 जुलाई 2010 को हुई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत **श्री मनोज कुमार** को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत अमरपाटन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से पांच (05) वर्ष की कालावधि के लिए निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशनुसार,

हस्ता/-

(रजनी उड़िके)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2010

आदेश

क्र. एफ-67-258-10-तीन-2500.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन

में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997” मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्म में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगर पंचायत अमरपाटन, जिला सतना के आम निर्वाचन में **श्री सुदामा पिता संतोष** अध्यक्ष पद के अभ्यर्थी थे। नगर पंचायत अमरपाटन के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 17 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 16 जनवरी 2010 तक, किन्तु 16 जनवरी 2010 एवं 17 जनवरी 2010 का सार्वजनिक अवकाश होने के कारण दिनांक 18 जनवरी 2010 तक इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सतना के माध्यम से दिनांक 12 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

श्री सुदामा पिता संतोष को नोटिस दिनांक 12 अप्रैल 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 27 अप्रैल 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। नोटिस की तामीली उपरांत कलेक्टर, सतना ने अपने पत्र दिनांक 26 मई 2010 में लेख किया कि “श्री सुदामा पिता संतोष ने तत्समय में कारण बताओ नोटिस प्राप्त होने के उपरांत भी आज दिनांक तक निर्धारित अवधि में अपना निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।” आयोग द्वारा दिनांक 6 जुलाई 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 22 जुलाई 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र जारी की तामीली दिनांक 17 जुलाई 2010 को हुई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुए।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत श्री सुदामा पिता संतोष को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पंचायत अमरपाटन का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 (पांच) वर्ष की कालावधि के लिए निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता/-

(रजनी उड्के)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

भोपाल, दिनांक 20 अगस्त 2010

आदेश

क्र. एफ-67-137-10-तीन-2502.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-क के अनुसार अध्यक्ष के निर्वाचन में भाग लेने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिये यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन संबंधी उस समस्त व्यय का, जो उसने स्वयं या उसके निर्वाचन अभिकर्ता ने, नाम निर्दिष्ट होने की तारीख से निर्वाचन के परिणाम की घोषणा की तारीख की अवधि के बीच उपगत किया हो या उपगत करने के लिए प्राधिकृत किया हो, पृथक् और सही

लेखा रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार अध्यक्ष का निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए यह अनिवार्य है कि वह निर्वाचन की तारीख से 30 दिन के अन्दर अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करेगा।

राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी “निर्वाचन व्यय (लेखा संधारण और प्रस्तुति) आदेश 1997” मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), दिनांक 6 जून 1997 में प्रकाशित हुआ है। उसमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि निर्वाचन व्ययों का लेखा विहित अवधि में तथा विनिर्दिष्ट प्रोफार्म में जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल किया जाएगा।

माह दिसम्बर 2009 में सम्पन्न हुए नगरपालिका परिषद् मुलताई, जिला बैतूल के आम निर्वाचन में सुश्री भावना शिवहरे अध्यक्ष पद की अभ्यर्थी थीं। नगरपालिका परिषद् मुलताई के निर्वाचन का परिणाम दिनांक 15 दिसम्बर 2009 को घोषित हुआ। मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ख के अनुसार निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तारीख से 30 दिन के अन्दर अर्थात् 14 जनवरी 2010 तक, इन्हें अपने निर्वाचन व्ययों का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी बैतूल के पास दाखिल किया जाना था किन्तु कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बैतूल के पत्र क्र. नपा.निर्वा./2009/1892, दिनांक 6 फरवरी 2010 के द्वारा प्राप्त जानकारी अनुसार सुश्री भावना शिवहरे द्वारा विहित समय में निर्वाचन व्ययों का लेखा दाखिल नहीं किया गया।

विहित समयावधि में निर्वाचन व्यय का लेखा प्रस्तुत न करने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर सुश्री भावना शिवहरे को कारण बताओ सूचना पत्र दिनांक 23 फरवरी 2010 जारी कर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी बैतूल के माध्यम से दिनांक 3 मार्च 2010 को तामील कराया गया। कारण बताओ नोटिस में अभ्यर्थी से जवाब (लिखित अभ्यावेदन) इस कारण बताओ सूचना के प्राप्त होने के 15 दिन के अन्दर चाहा गया था। नोटिस में सभी वैधानिक स्थिति बताते हुए यह भी अंकित किया गया था कि 15 दिन के अन्दर उत्तर प्राप्त न होने की स्थिति में यह माना जाकर कि उन्हें इस संबंध में कुछ नहीं कहना है, उनके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश पारित कर दिया जायेगा।

सुश्री भावना शिवहरे को नोटिस दिनांक 3 मार्च 2010 को तामील कराया गया। अतः उनको दिनांक 18 मार्च 2010 तक अभ्यावेदन प्रस्तुत करना था। नोटिस की तामीली उपरांत कलेक्टर,

बैतूल ने अपने पत्र दिनांक 29 मार्च 2010 में लेख किया कि “सुश्री भावना शिवहरे द्वारा कोई भी निर्वाचन व्यय लेखा/अभ्यावेदन आज दिनांक तक इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।” आयोग द्वारा दिनांक 9 जुलाई 2010 को अभ्यर्थी को निर्वाचन व्यय लेखों से संबंधित समस्त दस्तावेज लेकर माननीय राज्य निर्वाचन आयुक्त के समक्ष में दिनांक 22 जुलाई 2010 को उपस्थित होने हेतु पत्र लिखा गया। व्यक्तिगत सुनवाई हेतु जारी सूचना-पत्र की तामीली दिनांक 19 जुलाई 2010 को हुई, किन्तु अभ्यर्थी उपस्थित नहीं हुई।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि अभ्यर्थी द्वारा नियत समयावधि में निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं किया गया एवं पक्ष समर्थन में कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। अतः आयोग का यह समाधान हो गया है कि उनके पास निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में प्रस्तुत करने में असफल रहने का कोई पर्याप्त एवं न्यायोचित कारण नहीं है।

अतः मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 की धारा 32-ग के उपबन्धों के अन्तर्गत सुश्री भावना शिवहरे को इस प्रकार चुने जाने के लिये तथा नगर पालिका परिषद् मुलताई जिला बैतूल का पार्षद या अध्यक्ष होने के लिए इस आदेश के तारीख से 05 वर्ष (पांच वर्ष) की कालावधि के लिए निरहित (अयोग्य) घोषित किया जाता है।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

(रजनी उड़के)

सचिव,

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, भोपाल।

हस्ता./-

एम. सेलवेन्नन,

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट।

राज्य शासन के आदेश

जन शिकायत निवारण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2010

क्र. 2204-305-तिरपन-2010—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, 25 सितम्बर, 2010 को उस तारीख के रूप में नियत करती है जिसको कि उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कटनी एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

कटनी, दिनांक 20 अगस्त 2010

क्र. 6799-एस.डब्ल्यू-2010.—मैं, एम. सेलवेन्नन, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, जिला कटनी, मध्यप्रदेश द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर के रिट पिटीशन नं. 10255/2010 में पारित आदेश दिनांक 12 अगस्त 2010 के अनुसरण में एवं दिनांक 27 अप्रैल 2010 को जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में लिये गये निर्णय व कटनी नगर निगम सीमा अन्तर्गत कि.मी. 368/2 पर स्थित कटनी नदी के पुल का कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग, कटनी के संयुक्त निरीक्षण टीप प्रतिवेदनानुसार उक्त पुल 100 वर्ष से भी अधिक पुराना होने से एवं पुल अपनी आयु पूर्ण कर लेने से, भारी बाहनों के आवागमन के योग्य न होने के कारण, किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए लोक सुरक्षा की दृष्टि से दुर्घटनाओं के नियंत्रण हेतु मो. या. अधिनियम, 1988 की धारा 115 एवं सहपठित म. प्र. मो. या. नियम, 1994 के नियम 215 के अनुसरण में उक्त पुल से भारी बाहनों का आवागमन आगामी आदेश तक के लिये प्रतिबंधित किये जाने हेतु प्रकाशित करता हूं। जिला सड़क सुरक्षा समिति द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार ऐसे वाहन/ट्रक जो कटनी शहर में पर्चून/अन्य अति आवश्यक सामग्री का परिवहन करते हैं को रात्रि में 12.00 से 1.00 बजे तक कटनी नदी पुल से प्रवेश कर सकेगी तथा प्रातः 4.00 से 5.00 बजे शहर से बाहर निकलेगी। कटनी शहर के अन्दर नहीं आने वाले वाहन बायपास से जायेंगे। यात्री/स्कूल बसों के आवागमन पर उक्त आदेश प्रभावशील नहीं रहेगा।

मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त के आदेशानुसार,

हस्ता./-

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट।

F. 2204-305-LIII-2010—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Madhya Pradesh Lok Sewaon Ke Pradan Ki Guarantee Adhiniyam, 2010 (No. 24 of 2010), the State Government hereby appoints the 25th September, 2010 as the date on which the said Act shall come into force.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रभाकर बंसोड, प्रमुख सचिव।

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

विदिशा, दिनांक 25 जून 2010

प्र. क्र: 36-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे वर्णित अनुसूची के कॉलम नंबर (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कॉलम नम्बर (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के कॉलम नंबर (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5(अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
विदिशा	नटेरन	सूखा आमखेड़ा	0.145 योग . . . <u>0.145</u>	भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन	सूखा आमखेड़ा-सतपाड़ा हाट मार्ग के कि.मी. 2/6 पर सगड़ नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु।

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भू-अर्जन की आवश्यकता है—सूखा आमखेड़ा-सतपाड़ा हाट मार्ग के कि.मी. 2/6 पर सगड़ नदी पर उच्चस्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, भू-अर्जन अधिकारी, नटेरन में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शरद चन्द्र शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शिवपुरी, दिनांक 4 अगस्त 2010

क्र. 38-09-10-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (5) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील/ तालुक	नगर/ग्राम	खसरा नंबर		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
शिवपुरी	खनियाधाना	खिसलोनी	61 योग . . . <u>0.58</u>	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रक्वा (हेक्टर में)	(7) कार्यपालन यंत्री, राजघाट बायाँ तट नहर की बायाँ नहर वितरण कंचनपुर शाखा के निर्माण हेतु संभाग खनियाधाना, जिला शिवपुरी (म.प्र.)।

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, शिवपुरी के कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्रधानमंत्री का दस्तावेज़

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजकुमार पाठक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 11 अगस्त 2010

क्र. भूमि संपादन-2010-6530.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अंतर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उज्जैन	नागदा	पाडल्याकला	5.591	भू-अर्जन अधिकारी, नागदा	उज्जैन-उन्हेल-नागदा-घिनोदा-जावगा बी.ओ.टी. टू-लेन मार्ग निर्माण हेतु ग्राम पाडल्याकला की अशासकीय भूमि का अधिग्रहण बाबत्

भूमि का नक्शा (प्लान) कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, नागदा में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

एम. गीता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नीमच, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

नीमच, दिनांक 18 अगस्त 2010

क्र. 2361-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त धारा 5क के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का विवरण				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
नीमच	जावद	नयागांव	6.730	कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग, नीमच।	एकीकृत जांच चौकी के लिये भूमि अर्जन।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, उपखण्ड, जावद के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय गोयल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव

कार्यालय, कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

इन्दौर, दिनांक 20 अगस्त 2010

क्र. 2942-भू-अर्जन-सांवेर-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे। क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 (1)(4) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
इन्दौर	सांवेर	बुढीबरलाई	21.862	आयुक्त, नगर पालिका निगम,	क्षिप्रा जल आवर्धन योजना,
		पुवार्डाई	1.787	देवास.	
		योग .	23.649		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, तहसील सांवेर, जिला इन्दौर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राघवेन्द्र सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 20 अगस्त 2010

क्र. 7070-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकतां पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतदद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				भू-अर्जन अधिनियम, 1894	अर्जित की जानेवाली प्रस्तावित
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि	की धारा 4(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	बिछुआ	ग्राम बंधानमाल	0.050 हेक्टर एवं ब.नं.—260, (उक्त भूमि पर प.ह.न.—09 आने वाली रा.नि.मं.-बिछुआ सम्पत्तियां).	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा।	बंधान जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण।

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-सौसर, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिन्दवाड़ा में प्रस्तुत कर सकता है।

क्र. 7105-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में, उक्त भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 की उपधारा (2) में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ। चूंकि प्रकरण में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-17-अर्जनस्ति क्लॉज की अनुमति प्राप्त है। राज्य शासन की राय में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-5(क) के उपबंध इस संबंध में लागू नहीं होंगे। इस संबंध में भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा-17(1) एवं 17(4) के उपबंध लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन	भू-अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी	अर्जित की जानेवाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन							
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छिन्दवाड़ा	सौसर	ग्राम-सेमरा	02.400 हेक्टर एवं ब.नं.—406, प.ह.नं.—20 आने वाली रा.नि.मं.-सौसर.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा.	ढोकडोह जलाशय के अन्तर्गत बांध निर्माण के लिये मिट्टी की आवश्यकता हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा में) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग-सौसर, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पबन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैड़न, दिनांक 23 अगस्त 2010

क्र. 1737-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन (4000 मेगावॉट विद्युत उत्पादन के लिये कोयला परिवहन हेतु एम.जी.आर./कोल कनवेयर निर्माण) के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंध के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 “अ” के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के उपबंध के अनुसार अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन						
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	सिंगरौली	अमलोरी (पटवारी हल्का अमलोरी-14).	17.78	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सासन पॉवर लिमिटेड, जिला-सिंगरौली.					पॉवर प्लान्ट के लिये कोयला परिवहन हेतु एम.जी.आर./कोल कनवेयर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

क्र. 1739-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन (4000 मेगावॉट विद्युत उत्पादन के लिये कोयला परिवहन हेतु एम.जी.आर./कोल कनवेयर निर्माण) के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 “अ” के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2) के उपबंध के अनुसार अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी का वर्णन						सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	सिंगरौली	नौगढ़ (पटवारी हल्का नौगढ़ नं.-23).	10.26	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सासन पॉवर लिमिटेड, जिला-सिंगरौली.					पॉवर प्लान्ट के लिये कोयला परिवहन हेतु एम.जी.आर./कोल कनवेयर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

क्र. 1741-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन (4000 मेगावॉट विद्युत उत्पादन के लिये कोयला परिवहन हेतु एम.जी.आर./कोल कनवेयर निर्माण) के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 “अ” के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	सिंगरौली	धरुवाबरवा (पटवारी हल्का हर्दी नं.-22).	2.14	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सासन पॉवर लिमिटेड, जिला-सिंगरौली.	पॉवर प्लान्ट के लिये कोयला परिवहन हेतु एम.जी.आर./कोल कनवेयर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

क्र. 1743-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन (4000 मेगावॉट विद्युत उत्पादन के लिये कोयला आपूर्ति हेतु एम.जी.आर./कोल कनवेयर निर्माण) के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 “अ” के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	सिंगरौली	हर्वाह (पटवारी हल्का हर्वाह नं.-20).	2.90	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सासन पॉवर लिमिटेड, जिला-सिंगरौली.	पॉवर प्लान्ट के लिये कोयला परिवहन हेतु एम.जी.आर./कोल कनवेयर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

क्र. 1745-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन (4000 मेगावॉट विद्युत उत्पादन के लिये कोयला आपूर्ति हेतु एम.जी.आर./कोल कनवेयर निर्माण) के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 “अ” के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	सिंगरौली	काम (पटवारी हल्का काम नं.-46).	3.00	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सासन पॉवर लिमिटेड, जिला-सिंगरौली.	पॉवर प्लान्ट के लिये कोयला परिवहन हेतु एम.जी.आर./कोल कनवेयर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

क्र. 1747-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन (4000 मेगावॉट विद्युत उत्पादन के लिये कोयला आपूर्ति हेतु एम.जी.आर. निर्माण) के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 “अ” के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	सिंगरौली	बिलौंजी भटवा (पटवारी हल्का करकोसा नं.-21).	0.18	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सासन पॉवर लिमिटेड, जिला-सिंगरौली.	पॉवर प्लान्ट के लिये कोयला परिवहन हेतु एम.जी.आर. (कनवेयर) निर्माण।

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

क्र. 1749-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन (4000 मेगावॉट विद्युत उत्पादन के लिये कोयला आपूर्ति हेतु एम.जी.आर. निर्माण) के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 “अ” के उपबंध

उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	सिंगरौली	पचौर (पटवारी हल्का करकोसा नं.-21).	0.10	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सासन पॉवर लिमिटेड, जिला-सिंगरौली.	पॉवर प्लान्ट के लिये कोयला परिवहन हेतु एम.जी.आर. (कनवेयर) निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

क्र. 1751-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन (4000 मेगावॉट विद्युत उत्पादन के लिये कोयला परिवहन हेतु एम.जी.आर./कोल कनवेयर निर्माण) के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 “अ” के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	सिंगरौली	गड़हरा खुर्द (पटवारी हल्का सासन नं.-45).	8.40	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सासन पॉवर लिमिटेड, जिला-सिंगरौली.	पॉवर प्लान्ट के लिये कोयला परिवहन हेतु एम.जी.आर./कोल कनवेयर निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

क्र. 1753-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन (4000 मेगावॉट विद्युत उत्पादन के लिये कोयला आपूर्ति हेतु एम.जी.आर. निर्माण) के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 “अ” के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू होंगे :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सिंगरौली	सिंगरौली	सिंद्धीखुर्द (पटवारी हल्का सासन नं.-45).	0.16	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सासन पॉवर लिमिटेड, जिला-सिंगरौली.	पॉवर प्लान्ट के लिये कोयला परिवहन हेतु एम.जी.आर. (कनवेयर) निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला-सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 25 अगस्त 2010

प्र. क्र. 79-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	रजौरा	4.680	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लौड़ी.	बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सरवई नहर क्र. 1 नहर क्र. 1 की राजौरा माइनर.
(2)				सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत सरवई नहर क्र. 1 का भू-अर्जन.	
(3)				भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है.	

प्र. क्र. 80-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	खड़ैहा	29.085	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लौड़ी.	बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत पचवारा माइनर, खड़ैहा माइन, चकाटा माइनर, महोई माइनर, ओदी माइनर, धावा माइनर.
(2)				सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत पचवारा माइनर, खड़ैहा माइन, चकाटा माइनर, महोई माइनर, ओदी माइनर, धावा माइनर का भू-अर्जन.	
(3)				भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है.	

प्र. क्र. 81-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	ओदी	5.790	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लौड़ी.	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सरवई नहर क्र. 1 की सब माइनरें हेतु।
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सरवई नहर की सब माइनर का भू-अर्जन।				
(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है।				

प्र. क्र. 83-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	किशोरीपुखरी	2.400	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लौड़ी.	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सरवई नहर क्र. 1 एवं सरवई नहर क्रमांक 2 हेतु।
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सरवई नहर क्र. 1 एवं 2 का भू-अर्जन।				
(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है।				

प्र. क्र. 84-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	मालपुर	3.960	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लौड़ी.	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सरवई नहर क्र. 1 की मालपुर माइनर.
(2)				सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत सरवई नहर क्र. 1 की मालपुर माइनर का भू-अर्जन.	
(3)				भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है.	

प्र. क्र. 87-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	चंदला	खुर्दगढ़ा	3.550	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लौड़ी.	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत व्यासबदौरा नहर.
(2)				सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत व्यासबदौरा नहर का भू-अर्जन.	
(3)				भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, चंदला में किया जा सकता है.	

प्र. क्र. 105-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

- (1) छतरपुर चंदला छतपुरा 5.62 अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लौड़ी। बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत उदयपुर वितरक नहर की छतपुरा माइनर क्र. 1 एवं 2 हेतु।
- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत उदयपुर वितरक नहर की छतपुरा माइनर क्र. 1 एवं 2 का भू-अर्जन।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, चंदला में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 107-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) की उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

- (1) छतरपुर चंदला हरई 7.262 अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लौड़ी। बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत बचंदला वितरक नहर की अमहा माइनर एवं हरई सब माइनर का भू-अर्जन।
- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत बचंदला वितरक नहर की अमहा माइनर एवं हरई सब माइनर का भू-अर्जन।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, चंदला में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 109-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	द्वारा अधिकृत अधिकारी	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छत्तीसगढ़	चंदला	बघारी	5.375	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लौड़ी.	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत चंदला वितरक के हर्रई माइनर का भू-अर्जन.
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत चंदला वितरक के हर्रई माइनर का भू-अर्जन.				
(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, चंदला में किया जा सकता है.				

प्र. क्र. 110-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	चंदला	हिनौता	1.825	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लौड़ी.	बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत चंदला वितरक के हर्रई माइनर हेतु.
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बांयी नहर की उमराहा शाखा नहर के अन्तर्गत चंदला वितरक के हर्रई माइनर का भू-अर्जन.				
(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, चंदला में किया जा सकता है.				

प्र. क्र. 111-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(1) छतरपुर चंदला दुमखेड़ा 2.458 अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लौड़ी। बरियारपुर बार्यो नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत चंदला वितरक नहर की दुमखेड़ा माइनर नं. 1 हेतु।

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बार्यो नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत चंदला वितरक नहर की दुमखेड़ा माइनर नं. 1 का भू-अर्जन।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, चंदला में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 112-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन			धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

(1) छतरपुर चंदला पटली 4.155 अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लौड़ी। बरियारपुर बार्यो नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत पटली माइनर हेतु।

(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बार्यो नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत पटली माइनर का भू-अर्जन।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, चंदला में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 113-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	चंदला	अमहा	4.50	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लौड़ी.	बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत चंदला वितरक नहर की अमहा सब-माइनर हैतु।
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत चंदला वितरक नहर की अमहा सब-माइनर का भू-अर्जन।				
(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, चंदला में किया जा सकता है।				

प्र. क्र. 114-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	चंदला	भगौरा	11.177	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व लौड़ी.	बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत उदयपुर वितरक नहर की भगौरा माइनर नं. 1 व 2 एवं दुमखेड़ा नं. 1 सब-माइनर का भू-अर्जन।
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत उदयपुर वितरक नहर की भगौरा माइनर नं. 1 व 2 एवं दुमखेड़ा नं. 1 सब-माइनर का भू-अर्जन।				
(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, चंदला में किया जा सकता है।				

प्र. क्र. 115-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	चंदला	बेरगियापुखरी	6.700	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौड़ी.	बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत चंदला वितरक के हरई माइनर हेतु।
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत चंदला वितरक के हरई माइनर का भू-अर्जन।				
(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, चंदला में किया जा सकता है।				

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	चंदला	रावपुर	0.50	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौड़ी.	बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत उदयपुर वितरक नहर की भगौरा माइनर नं. 2 हेतु।
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बायीं नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत उदयपुर वितरक नहर की भगौरा माइनर नं. 2 का भू-अर्जन।				
(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, चंदला में किया जा सकता है।				

प्र. क्र. 117-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरीहार	बेहनपुर	7.00	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौड़ी.	बरियारपुर बार्यां नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत सरवई वितरक नहर क्र. 1 सरवई नहर क्र. 2 हेतु.
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बार्यां नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत सरवई वितरक नहर का भू-अर्जन.				
(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है.				

प्र. क्र. 58-अ-82-09-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (6) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	भूमि का वर्णन लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
छतरपुर	गौरिहार	महोईखुर्द	16.510	अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, लौड़ी.	बरियारपुर बार्यां नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत सरवई नहर क्र. 2.
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—बरियारपुर बार्यां नहर की उमराहा शाखा नहर के अंतर्गत सरवई नहर क्र. 2 का भू-अर्जन.				
(3)	भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, तहसील कार्यालय, गौरिहार में किया जा सकता है.				

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ई. रमेश कुमार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 26 अगस्त 2010

क्र. 2377-भू-अर्जन-2010-रा. प्र. क्र. अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल भूमि (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
झाबुआ	पेटलावद	उण्डीखाली योग	0.18 0.18	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्र. 01, झाबुआ.	उण्डीखाली तालाब के स्पील चेनल के निर्माण हेतु।

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शोभित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 27 अगस्त 2010

क्र. 543-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (7) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (6) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	त्योंथर	चॉक	1.235	11.46	परिवहन आयुक्त, मोतीमहल ग्वालियर (म. प्र.).

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 544-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्र. एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है। राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम के धारा 5-अ के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि की उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	हनुमना	हनुमना	14.874	परिवहन आयुक्त, मोतीमहल ग्वालियर (म. प्र.).	बार्डर चेकपोस्ट निर्माण हेतु (हनुमना).

भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. पी. श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

राजगढ़, दिनांक 27 अगस्त 2010

क्र. 9616-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	खिलचीपुर	चिबड़कलौं	0.810	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन	दाबलीखुर्द तालाब के बांधी
		दाबलीकलौं	1.780	संभाग, राजगढ़.	तट नहर निर्माण हेतु भूमि
		दौलतपुरा	0.791		का अर्जन.
		दाबलीखुर्द	0.408		
		कुल योग . .	3.789		

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 9618-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 (2) के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
राजगढ़	नरसिंहगढ़	रघुनाथपुरा	0.231	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग, नरसिंहगढ़।	मोतीपुरा तालाब की नहर के अंतर्गत डूब में आई भूमि का अर्जन।

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 20 अगस्त 2010

क्र. 1194-भू-अर्जन-2010-2-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	झिरन्या	बोंदरान्या	2.650	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मण्डलेश्वर।	देवलीयातालाब योजना के शीर्ष कार्य हेतु।

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर, जिला खरगोन, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मण्डलेश्वर के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 1195-भू-अर्जन-2010-3-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	झिरन्या	चैनपुर	0.500	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मण्डलेश्वर.	धनवा तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु।

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मण्डलेश्वर के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1196-भू-अर्जन-2010-4-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	धारा 4 (2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खरगोन	झिरन्या	आभापुरी नानकौड़ी	4.220	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मण्डलेश्वर.	धनवा तालाब योजना के नहर निर्माण हेतु।

नोट.—भूमि का नक्शा (प्लान) का अवलोकन कलेक्टर, जिला खरगोन, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी भीकनगांव एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, मण्डलेश्वर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं प्रदेश उपसचिव।

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

जबलपुर, दिनांक 30 जून 2010

क्र. 5-अ-82-06-07.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—जबलपुर
- (ख) तहसील—सिहोरा
- (ग) ग्राम—पहरेवा, प.ह.नं. 76, नं. बं. 81
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.06

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
83	0.06

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है।—लमकना वितरण नहर निर्माण हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण जिलाध्यक्ष (भू-अर्जन इकाई क्रमांक 1, बरगी हिल्स), जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गुलशन बामरा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

देवास, दिनांक 13 अगस्त 2010

प्र. क्र. 1-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा,

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—कृषि भूमि

- (क) जिला—देवास
- (ख) तहसील—बागली
- (ग) ग्राम—पुंजापुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.31 हेक्टर।

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
327	0.07
308	0.05
328	0.05
270/1	0.01
270/2	0.01
389	0.02
394	0.01
395	0.02
396	0.01
399	0.01
401/2	0.02
401/1	0.01
273, 274	0.02
योग . .	0.31

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—कॉटाफोड-पुंजापुरा सड़क से प्रभावित होने से।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बागली तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, देवास में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 2-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा,

यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—कृषि भूमि
 (क) जिला—देवास
 (ख) तहसील—बागली
 (ग) ग्राम—भूरियापुरा
 (घ) क्षेत्रफल — 0.09 हेक्टर.

सर्वे नंबर	सड़क का रकबा (हे. में)
(1)	(2)
38 पैकी	0.09
योग . .	0.09

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।—कॉटाफोड-पुंजापुरा सड़क से प्रभावित होने से.
 (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बागली तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, देवास में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 3-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—कृषि भूमि
 (क) जिला—देवास
 (ख) तहसील—बागली
 (ग) ग्राम—केवटियापानी
 (घ) क्षेत्रफल — 1.01 हेक्टर.

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
201 पैकी	0.13
205 पैकी	0.17
206 पैकी	0.37
207	0.34
योग . .	1.01

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।—कॉटाफोड-पुंजापुरा सड़क से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बागली तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, देवास में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 4-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—कृषि भूमि

- (क) जिला—देवास
 (ख) तहसील—बागली
 (ग) ग्राम—पलासी
 (घ) क्षेत्रफल — 1.45 (2510 स्क्वायर मीटर)

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
28	0.04
174/1	0.02
174/2	0.02
175	0.02
32	0.05
171	0.05
169	0.01
34/1	0.02
34/2	17×10
34/3	25×10
35/2	0.01
35/3	0.02
35/5	0.02
35/6	18×10
35/7	20×10
35/8	11×10
35/9	25×10
115	10×30
116/2	10×40
116/4	10×20
116/1	10×25

(1)	(2)
116/3	10×20
36	0.03
37	0.03
112/1	0.05
112/2	0.01
111	0.04
43	0.04
44	0.05
110	0.02
109	0.02
45	0.04
50	0.01
48, 49	0.01
107	0.06
90/3	0.12
106/3	0.02
106/1	0.02
106/2	0.02
103	0.05
102	0.02
92/1	0.18
92/2	0.18
85	0.10
89	0.05
योग . .	1.45 (2510 स्क्वायर मीटर)

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।— कॉटाफोड-पुंजापुरा सड़क से प्रभावित होने से।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बागली तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, देवास में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 5-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—कृषि भूमि
- (क) जिला—देवास
 - (ख) तहसील—बागली

(ग) ग्राम—गाडिया
(घ) क्षेत्रफल — 2.49 हेक्टर।

सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)
(1)	(2)
118 पैकी	0.01
121 पैकी	0.01
123 पैकी	0.10
154 पैकी	0.02
148 पैकी	0.15
145 पैकी	0.07
136 पैकी	0.06
142 पैकी	0.06
143 पैकी	0.08
136 पैकी	0.01
103 पैकी	0.04
105 पैकी	0.04
81/1 पैकी	0.23
76 पैकी	0.11
75 पैकी	0.16
70 पैकी	0.05
78 पैकी	0.12
72 पैकी	0.06
161 पैकी	0.08
162 पैकी	0.12
158 पैकी	0.22
159 पैकी	0.23
157 पैकी	0.04
156 पैकी	0.15
200 पैकी	0.27

योग . . 2.49

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।— कॉटाफोड-पुंजापुरा सड़क से प्रभावित होने से।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बागली तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, देवास में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 6-अ-82-08-09.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894

(क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन हेतु आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—कृषि भूमि

(क) जिला—देवास

(ख) तहसील—बागली

(ग) ग्राम—बोरखाल्या

(घ) क्षेत्रफल — 1.66 हेक्टर.

सर्वे रक्का

नंबर (हेक्टर में)

(1) (2)

124/1 पैकी

124/1 पैकी

127 पैकी

128 पैकी

131/1 पैकी

131/2 पैकी

86/1 पैकी

122 पैकी

74 पैकी

130 पैकी

110 पैकी

115 पैकी

117 पैकी

111 पैकी

योग . . . 1.66

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है.— कॉटाफोड-पुंजापुरा सड़क से प्रभावित होने से.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बागली तथा कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, देवास में किया जा सकता है.

क्र. 1093-भू-अर्जन-10-प्र. क्र. 04-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—देवास

(ख) तहसील—बागली

(ग) ग्राम—अलीपुर

(घ) लगभग क्षेत्रफल — 0.903 हेक्टर.

सर्वे नंबर	सिंचित क्षे.	असिंचित क्षे.	प्रभावित रक्का (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)
77 Paki	0.30	0.00	0.30
80	0.18	0.00	0.18
117	0.00	0.13	0.13
124	0.00	0.12	0.12
12	0.00	0.01	0.01
6	0.10	0.00	0.10
8	0.02	0.00	0.02
42	0.00	0.03	0.03
135 Paki	0.02	0.00	0.02
48	0.00	0.19	0.19
5	0.10	0.00	0.10
38	0.08	0.00	0.08
46	0.06	0.00	0.06
52	0.20	0.00	0.20
116	0.12	0.00	0.12
122 Paki	0.00	0.20	0.20
35	0.08	0.08	0.16
49	0.17	0.17	0.34
56	0.00	0.16	0.16
32	0.00	0.04	0.04
36	0.05	0.00	0.05
73	0.06	0.00	0.06
89	0.19	0.00	0.19
115	0.00	0.12	0.12
125 Paki	0.00	0.25	0.25
133 Paki	0.00	0.25	0.25
53	0.22	0.20	0.42
68	0.40	0.00	0.40
114	0.00	0.12	0.12
123 Paki	0.00	0.14	0.14
74 Paki	0.00	0.03	0.03
44	0.00	0.01	0.01
45	0.00	0.01	0.01
41	0.00	0.08	0.08
69 Paki	0.00	0.14	0.14
7/2	0.00	0.08	0.08
37/1	0.00	0.07	0.07
37/6	0.00	0.35	0.35

(1)	(2)	(3)	(4)	भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :— अनुसूची
				(1) भूमि का वर्णन— (क) जिला—देवास (ख) तहसील—देवास (ग) ग्राम—टुमनी (घ) लगभग क्षेत्रफल —9.50 हेक्टर
				सर्वे संचित असंचित प्रभावित रकबा नंबर क्षे. क्षे. (हे. में)
54/1	0.00	0.10	0.10	
51	0.13	0.00	0.13	
112	0.00	0.12	0.12	
118	0.13	0.00	0.13	
126 Paki	0.00	0.30	0.30	
4	0.00	0.40	0.40	
10 Paki	0.00	0.10	0.10	
39	0.00	0.11	0.11	
47	0.00	0.02	0.02	
111	0.00	0.58	0.58	
33 Paki	0.00	0.11	0.11	
40	0.00	0.14	0.14	
43	0.00	0.01	0.01	
50	0.00	0.99	0.99	
82	0.16	0.00	0.16	
113 Paki	0.70	0.00	0.70	
127 Paki	0.00	2.81	2.81	
134 Paki	0.25	0.20	0.45	
7/1	0.00	0.08	0.08	
37/2	0.00	0.07	0.07	
37/4 Paki	0.00	0.10	0.10	
37/5	0.00	0.16	0.16	
37/7	0.00	0.09	0.09	
54/2	0.00	0.14	0.14	
7/3	0.00	0.08	0.08	
37/3	0.00	0.39	0.39	
37/8	0.00	0.09	0.09	
54/3	0.00	0.11	0.11	
132 Paki	0.20	0.00	0.20	
योग . .	3.92	10.28	14.20	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन.—क्षिप्रा जल आवर्धन योजना के अन्तर्गत ढूब क्षेत्र में आने से अर्जन।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, जिला देवास एवं नगर पालिक निगम, देवास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 1099-भू-अर्जन-10-प्र. क्र. 04-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1884) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त

29 Paki	0.00	0.12	0.12
39 Paki	0.00	0.07	0.07
40 Paki	0.00	0.07	0.07
297	0.00	0.04	0.04
294	0.09	0.00	0.09
41 Paki	0.00	0.05	0.05
296	0.00	0.04	0.04
295	0.09	0.00	0.09
42 Paki	0.00	0.06	0.06
292	0.09	0.00	0.09
299	0.00	0.04	0.04
43	0.00	0.05	0.05
293	0.10	0.00	0.10
298	0.00	0.04	0.04
44 Paki	0.10	0.00	0.10
45 Paki	0.09	0.00	0.09
46/1 Paki	0.21	0.00	0.21
68/2 Paki	0.11	0.00	0.11
70/2	0.13	0.00	0.13
116/2	0.43	0.00	0.43
70/1	0.13	0.00	0.13
116/1	0.43	0.00	0.43
72 Paki	0.23	0.00	0.23
76 Paki	0.28	0.00	0.28
77 Paki	0.00	0.25	0.25
78 Paki	0.00	0.15	0.15
79 Paki	0.03	0.00	0.03
87 Paki	0.14	0.00	0.14
88	0.09	0.09	0.18
125	0.20	0.00	0.20
89	0.09	0.09	0.18
124	0.20	0.00	0.20
90 Paki	0.61	0.00	0.61

(1)	(2)	(3)	(4)
91 Paki	0.45	0.00	0.45
98 Paki	0.20	0.18	0.38
99 Paki	0.30	0.15	0.45
115 Paki	0.00	0.60	0.60
123	0.00	0.14	0.14
122	0.00	0.13	0.13
121	0.00	0.13	0.13
120	0.00	0.40	0.40
118	0.00	0.25	0.25
276 Paki	0.08	0.00	0.08
277/1 Paki	0.40	0.21	0.61
126	0.20	0.00	0.20
127	0.19	0.00	0.19
290	0.20	0.00	0.20
291	0.26	0.00	0.26
योग . .	6.15	3.35	9.50

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—क्षिप्रा जल आवर्धन योजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र में आने से अर्जन।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, जिला देवास एवं नगरपालिक निगम, देवास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

देवास, दिनांक 19 अगस्त 2010

क्र. 1136-भू-अर्जन-10-प्र. क्र. 04-अ-82-2009-10.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—देवास
- (ख) तहसील—देवास
- (ग) ग्राम—सुकल्या
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.903 हेक्टर।

सर्वे नंबर	सिंचित क्षे.	असिंचित क्षे.	प्रभावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)	(3)	(4)

79/489/1/1Paki 0.000 0.030 0.030

(1)	(2)	(3)	(4)
79/489/1/3 Paki	0.000	0.630	0.630
79/489/2	0.000	0.243	0.243
योग . .	0.000	0.903	0.903

(2) सार्वजनिक प्रयोजन—क्षिप्रा जल आवर्धन योजना के अन्तर्गत डूब क्षेत्र में आने से अर्जन।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) कलेक्टर कार्यालय, जिला देवास एवं नगरपालिक निगम, देवास के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, पुष्टिलता सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 16 अगस्त 2010

क्र. 5458-जि.भू.अ.-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
- (ख) तहसील—बरधाट
- (ग) ग्राम—झूण्डा सिवनी, प.ह.न.—29,
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.04 हेक्टर।

ख. नं. 04 अर्जित रकबा (हेक्ट. में)

(1) (2)

अशासकीय भूमि

42	0.02
43/3	0.02
कुल योग . .	0.04

(1)	(2)
शासकीय भूमि	0
कल योग . . .	0

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—पलारी—कहानी मार्ग के कि. मी. 3/10 में डुमनानाला पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन) सिवनी में किया जा सकता है।

क्र. 5459-जि.भू.अ.-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनसुची

- ### (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
 (ख) तहसील—बरधाट
 (ग) ग्राम—धपारा, प.ह.न.—25/62
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.07 हेक्टेयर

ख. नं. ३५४ अर्जित रक्षा
(हेक्ट. में)

- (1) (2)

अशासकीय भूमि	0.0
कुल योग . . .	0.0

शासकीय भूमि

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—ताखला-धपारा मार्ग के कि. मी. 3/6 में हर्री नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भू-अर्जन) सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 5460-जि.भू.अ.-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में

वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनसुची

- ### (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
 (ख) तहसील—बरघाट
 (ग) ग्राम—मलारा, प.ह.न.—6/42
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.60 हेक्टेयर

ख. नं. १५३ अर्जित रकबा
(हेक्ट. में)

- (1) _____ (2) _____

अशासकीय भूमि	
515	0.06
516	0.34
517	0.20

कल योग .. 0.60

शासकीय भूमि

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—
जनमखारी-खामी मार्ग के कि. मी. 2/10 में हर्री नदी पर
पुल एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु।

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर
(भ-अर्जन) सिवनी में किया जा सकता है।

क्र. 5461-जि.भू.अ.-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- ### (1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
 (ख) तहसील—बरघाट
 (ग) ग्राम—ताखलाखर्द, प.ह.न.—08

(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.36 हेक्टेयर

ख. नं. अर्जित रकबा
(हेक्ट. में)

(1)	(2)
अशासकीय भूमि	
186	0.08
185	0.20
184/3	0.08
कुल योग . .	0.36
शासकीय भूमि	
0	0.0
कुल योग . .	0.0

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—टेटमा-
मलारा मार्ग के कि. मी. 15/10 में हिर्णी नदी पर पुल एवं
पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु.

(3) भूमि के नक्शे ('प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, कलेक्टर
(भू-अर्जन) सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 5462-जि. भू.अ.-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसंधी

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—सिवनी
 (ख) तहसील—बरधाट
 (ग) ग्राम—चिमनाखारी, प.ह.न.—08
 (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.36 हेक्टेयर

ख. नं. ३४५ अर्जित रकबा
(हेक्ट. में)

(1)	(2)
अशासकीय भूमि	
131/1	0.09
132	0.46
कुल योग . .	<u>0.55</u>

शासकीय भूमि

कुल योग : 0.0

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—टेटमा-
मलारा मार्ग के कि. मी. 15/10 में हिर्रो नदी पर पुल एवं
पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य हेतु।

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर (भु-अर्जन) सिवनी में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोहर ढबे, कलेक्टर एवं पठेन उपसचिव,

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाडा, दिनांक 19 अगस्त 2010

क्र. 7023-प्रस्तु-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनसची

- ### (1) भसि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—छिन्दवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम राजना, प.ह.नं. 43/75, ब.नं. 502,
रा. नि. मण्डल छिन्दवाड़ा.

(घ) अर्जित किये जाने वाला—0.929 हेक्टर एवं प्रस्तावित
प्रस्तावित क्षेत्रफल. क्षेत्रफल पर आने वाली
संपत्तियां

खसरा	रकबा
न.	(हे. में)
(1)	(2)
460/2	0.028
462/1-2	0.129
478/1-2	0.213
471/1	0.033
472/2	0.144
471/2	0.030
473/1	0.128
474/3	0.008
474/4	0.018
475/2	0.102
476/1	0.096
योग . .	0.929

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—नवलगांव तीनफाटा जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण के लिये निजी कृषि भूमि का अर्जन।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण, कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुबिभागीय अधिकारी, कन्हरगांव परियोजना, नहर उपसंभाग क्रमांक 2 छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

क्र. 7024-प्रस्तु.-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—मोहखेड़
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-केकड़ा, प.ह.नं.-59, ब.नं.-72
रा. नि. मंडल, इकलबिहरी।
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल—01.740 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां।

खसरा न. (1)	रक्का (हे. में) (2)
174	0.050
175/1	0.166
175/2	0.070
176	0.008
191/1, 191/2	0.095
192	0.141

(1)	(2)
193/1	0.032
224	0.260
194/1	0.320
222	0.006
225	0.205
230/1	0.179
230/2	0.039
231/1	0.170

कुल योग . . 01.740

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—नवलगांव तीनफाटा जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण के लिये निजी कृषि भूमि का अर्जन।
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा छिन्दवाड़ा) जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, कन्हरगांव परियोजना संभाग-छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुबिभागीय अधिकारी, कन्हरगांव परियोजना, नहर उपसंभाग क्रमांक 2, छिन्दवाड़ा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पवन कुमार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

खरगोन, दिनांक 20 अगस्त 2010।

क्र. 1174-भू-अर्जन-10-23-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के

अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—कसरावद
- (ग) ग्राम—रूपखेड़ा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.690 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
91/2	0.020
101	0.270
103/4	0.400
योग . .	0.690

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1185-भू-अर्जन-10-24अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—कसरावद
- (ग) ग्राम—बहादरपुरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.885 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
38/1	0.020

(1) (2)

38/2 0.290

39/1 0.025

39/2 0.150

46/2 0.030

52 0.190

83/1 0.070

85/2 0.170

85/3 0.110

86 0.180

152 0.200

155/2 0.300

155/3 0.150

योग . . 1.885

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1178-भू-अर्जन-10-25अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—कसरावद
- (ग) ग्राम—बिलखेड़
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.276 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
3/1	0.005

(1)	(2)	(1)	(2)
3/2, 4, 5/1	0.440	120	0.160
5/2/1	0.260	419	0.220*
6	0.690		
16/1	0.110		
17/1	0.631		
17/2	0.140		
योग . .	<u>2.276</u>	योग . .	<u>0.885</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नमदा विकास नहर संभाग, खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1173-भू-अर्जन-10-26अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—कसरावद
- (ग) ग्राम—बामंदी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—0.885 हेक्टेयर।

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
4/1	0.020
4/2	0.030
5/1	0.180
5/2	0.060
5/3	0.035
116	0.180

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नमदा विकास नहर संभाग, खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1192-भू-अर्जन-10-27अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—कसरावद
- (ग) ग्राम—रेगंवा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—2.180 हेक्टेयर।

खसरा नंबर (1)	रकबा (हेक्टर में) (2)
519/1	0.100
495/8	0.190
495/9	0.230
495/11	0.240
495/12	0.150
518	0.050
522/1	0.070
525, 526	0.280
542/1, 544	0.450

(1)	(2)
542/2	0.030
543	0.390
योग . .	<u>2.180</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण,

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 1184-भू-अर्जन-10-28अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—कसरावद
- (ग) ग्राम—खड़कवानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—5.830 हेक्टेयर।

खसरा	रकबा (हेक्टर में)
नंबर	
(1)	(2)
4	0.110
5/1	0.490
5/4	0.280
8/1	0.230
8/2	0.150
9	0.240
10	0.080
11	0.270
24/1	0.440
30/2	0.310

(1)	(2)
30/3	0.130
40/2	0.470
61	0.450
107	0.270
207/1	0.600
250/1	0.530
250/2	0.780
योग . .	<u>5.830</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1176-भू-अर्जन-10-29अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—कसरावद
- (ग) ग्राम—सोनखेड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—6.231 हेक्टेयर।

खसरा	रकबा (हेक्टर में)
नंबर	
(1)	(2)
141	0.340
174/2	0.370

(1)	(2)
174/4	0.120
176/2	0.830
177/1	0.610
177/2	0.110
183/2	0.510
184/2	0.080
184/3	0.080
184/4	0.080
185/2	0.650
200/3/3	0.170
201/3	0.200
202/2	0.076
202/4	0.080
208/3	0.240
208/4	0.050
208/5	0.050
208/6	0.090
210	0.410
213/4	0.300
219/1	0.320
219/2	0.130
221/1	0.090
221/2	0.140
222	0.105
योग . .	<u>6.231</u>

क्र. 1191-भू-अर्जन-10-30अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—कसरावद
- (ग) ग्राम—पागाखेड़ी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.767 हेक्टेयर.

खसरा नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
166/1	0.073
166/2	0.084
166/3	0.024
166/4	0.020
174	0.295
175	0.218
176/1	0.647
176/2	0.147
176/3	0.178
180/195	0.081
योग . .	<u>1.767</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरों) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है।

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है।—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय, खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरों) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, क्र. 24 खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1175-भू-अर्जन-10-31-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—कसरावद
- (ग) ग्राम—बामंदा
- (घ) क्षेत्रफल—5.461 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
35	0.040
176	1.165
178	0.182
180	0.121
181/1	0.283
182/3	0.283
188	0.405
189/1	0.190
189/2	0.158
194	0.295
195	0.324
196/1	0.287
196/2	0.158
225/1	0.324
225/2	0.259
228	0.218
229	0.113
233/1/1	0.283
233/1/2	0.146
233/2/2	0.227
कुल योग : <u>5.461</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 1179-भू-अर्जन-10-32-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—कसरावद
- (ग) ग्राम—चिचलाय
- (घ) क्षेत्रफल—23.511 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
40/1/1	0.057
43	0.154
44/1	0.024
44/2	0.842
44/4	0.518
46/2	0.162
109/1	0.030
110/1	0.820
110/2	0.360
113/1	0.208
113/2	0.081
113/3	0.238
115	0.299
128/3	0.255
128/4	0.210
128/5	0.554
133/1	0.753
138/2	0.194

138/3/1	0.384	256/2	0.324
138/5	0.243	259/1	0.210
138/6	0.235	259/2	0.380
138/7	0.089	260/1	0.202
142/1	0.534	265/1	0.348
142/2	0.303	265/2	0.097
156	0.105	267	0.186
157/1	0.089	270	0.283
159/1	0.210	282	0.939
159/2	0.048	284	0.049
165/1	0.057	287/2	0.097
165/2	0.222	289/2	0.255
165/4	0.182	291/2, 292/2	0.372
168	0.384	310	0.210
169	0.050	311	0.186
178	0.121	312	0.162
179/1	0.210	313	0.170
179/2	0.178	314	0.194
179/3	0.121	315	0.234
179/4	0.105	316	0.227
181	0.590	317/1	0.202
186/1	0.372	318	0.202
186/2	0.218	319/1	0.016
186/3	0.235	319/2/1	0.202
186/4	0.202	322	0.170
186/8	0.283	323/1	0.469
187	0.283	323/2	0.368
188/1	0.024	324/2	0.348
239/2	0.267	324/3	0.340
246/1	0.316	324/4	0.146
247/2	0.065	332	0.162
247/3	0.097	334	0.344
247/7	0.021	कुल योग : <u>23.511</u>	
247/8	0.101		
247/9	0.202		
247/10	0.178		
247/11	0.154		
248/2	0.267		
248/3	0.809		
249	0.085		
255/1	0.105		
255/2	0.793		
256/1	0.121		

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 1187-भू-अर्जन-10-33-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—कसरावद
- (ग) ग्राम—नाथ्यापुरा
- (घ) क्षेत्रफल—7.214 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
15/2/1	0.283
15/2/2	0.140
16	1.269
17/3	0.048
17/4	0.040
17/5	0.235
59	0.040
60/2	1.314
60/4	0.558
61/1	0.048
61/3	0.243
61/5	0.413
61/6	0.136
74/3	0.793
93	0.356
95	0.097
96	0.486
97/1	0.040
97/2	0.461
102/1	0.154
103/1	0.040
106/1	0.020
कुल योग : 7.214	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 1188-भू-अर्जन-10-34-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—कसरावद
- (ग) ग्राम—एकलधारिया
- (घ) लगभग क्षेत्रफल—1.327 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
26	0.453
182	0.874
कुल योग : 1.327	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 1182-भू-अर्जन-10-35-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—कसरावद
- (ग) ग्राम—काटकुर

(घ) क्षेत्रफल—5.329 हेक्टेयर.

खसरा	रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
192/1	0.324
192/2	0.283
193	0.704
194/2	0.662
194/3	0.600
235	0.160
237	0.501
239	0.303
244	0.607
247/2	0.129
247/256	0.024
248	1.032
कुल योग :	<u>5.329</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर एवं उसकी वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 1193—भू-अर्जन-10-36-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—कसरावद
- (ग) ग्राम—मैजमपुर
- (घ) क्षेत्रफल—0.687 हेक्टेयर.

खसरा	रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
101	0.040
102	0.372
103	0.275
कुल योग :	<u>0.687</u>

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 1172—भू-अर्जन-10-37-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—कसरावद
- (ग) ग्राम—भीलगांव
- (घ) क्षेत्रफल—8.462 हेक्टेयर.

खसरा	रकबा
नम्बर	(हेक्टर में)
(1)	(2)
527	0.174
528	0.392
529	0.397
530	0.129
532	0.518
540	0.048
541	0.089
544	0.040
545/2	0.145
545/3	0.275
548/1	0.056
576	0.445
580	0.186
583/1	0.210
583/2	0.356
583/3	0.376
586	0.154
599	0.020
602	0.558
605	0.413

(1)	(2)	(ग) ग्राम—पाटयापुरा	
609/1	0.040	(घ) क्षेत्रफल 4.242 हेक्टेयर.	
614/1	0.222	खसरा	रकबा
615	0.289	नम्बर	(हेक्टर में)
675/1	0.243	(1)	(2)
675/2	0.202	51	0.600
675/3	0.162	53/1/1	0.817
675/4	0.113	53/2/1	0.486
676/1	0.121	54	0.316
676/2	0.129	55	0.364
676/3	0.097	56	0.332
676/4	0.137	58	0.008
678	0.008	82/2	0.057
680	0.235	83	0.113
681	0.008	85/5	0.324
746/3	0.080	88/2	0.121
747	0.049	136	0.283
753	0.040	137/1/1	0.421
754/1	0.498		
754/2	0.728		
754/3	0.080		
कुल योग : 8.462			

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 1181-भू-अर्जन-10-38-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—कसरावद

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 1189-भू-अर्जन-10-39-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
(ख) तहसील—कसरावद
(ग) ग्राम—बारदेवला

(घ) क्षेत्रफल—7.013 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
4/1	0.243
13	0.324
15	0.421
17/2	0.743
22/2	0.445
49/1	0.251
49/2	0.413
52	0.324
54	0.235
55	0.421
56	0.089
83	0.008
85	0.291
95	0.227
96	1.494
98	0.445
99/3	0.202
100	0.437
कुल योग :	
	7.013

(ग) ग्राम—साडली

(घ) क्षेत्रफल—15.587 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
28/2	0.008
28/3	0.227
29	0.224
30/3	0.121
30/4	0.135
32	0.057
33	0.202
35	0.259
36	0.154
37	0.004
39	0.121
92/2	0.647
172/2, 173	0.016
174/3	0.146
183	0.146
191	0.115
192	0.676
199	0.024
202	0.413
203	0.259
204	0.400
211	0.062
212	0.692
215/3	0.631
216, 217	0.065
222	0.560
226	0.121
227/1	0.473
228	0.243
238/1	0.469
239/2/1	0.348
239/3/1	0.400
239/4/1	0.360
239/5/1	0.580
239/6	0.648
239/7	0.146
243/5	0.048
245/1	0.433
245/2	0.550
245/3	1.105
246	0.688
248/1	0.016
248/2/2	0.144

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—कसरावद

क्र. 1177-भू-अर्जन-10-40-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

(1)	(2)	(1)	(2)
248/3/2	0.184	270/299	0.500
257/2	1.080	278	0.354
268/2	0.421	279	0.160
268/3	0.280		
268/4	0.486		
कुल योग : <u>15.587</u>		कुल योग : <u>4.852</u>	

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरे) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1190-भू-अर्जन-10-41-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—कसरावद
- (ग) ग्राम—मेंहतपुरा
- (घ) क्षेत्रफल—4.852 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
106	0.320
217/6	0.180
217/7	0.648
229	0.140
237	0.550
246	0.880
267	0.460
269	0.220
270	0.440

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरे) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 1180-भू-अर्जन-10-42-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—खरगोन
- (ख) तहसील—कसरावद
- (ग) ग्राम—बिलवा
- (घ) क्षेत्रफल—7.303 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
8/4	0.323
32/2	0.180
77/4	0.243
79/1	0.060
80/1	0.060
80/2	0.280
81/1	0.234
83/1	0.176
83/2	0.220
84/4	0.040
91/2	0.640

(1)	(2)	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
94/4	0.200	(1)	(2)
94/5	0.200	10	0.202
94/6	0.330	16	0.538
95/1	0.120	19	0.259
95/2	0.120	20	0.162
95/3	0.140	21/1	0.018
95/4	0.120	21/2	0.008
97	0.650	27	0.275
103/2	0.748	28/1	0.016
148/1	0.080	29/1	0.308
148/2	0.080	29/2	0.437
149	0.320	30/1	0.178
200	0.759	30/2	0.202
202	0.650	33	0.445
203	0.330	35/2	0.040
कुल योग : <u>7.303</u>		35/3	0.433
		36/1	0.024
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.	36/2	0.473	
		110/1	0.356
		110/2	0.085
		115	0.040
		117	0.085
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है।	124/1	0.024	
		124/2	0.080
		124/3	0.178
		125	0.105
		126/1	0.057
क्र. 1171-भू-अर्जन-10-43-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—	126/2	0.049	
		126/3	0.049
		126/4	0.049
		126/5	0.052
		126/6	0.395
		127	0.032
		131/1	0.020
		132/1	0.555
		133/1	0.364
		134/1	0.405
(1) भूमि का वर्णन—	135/1	0.195	
	135/2	0.183	
	135/3	0.259	
	136/1	0.064	
	148	0.834	
(घ) क्षेत्रफल—30.238 हेक्टेयर।	149/1	0.200	
	149/2	0.161	

(1)	(2)	(1)	(2)
149/3	0.287	426/2	0.050
159	0.202	426/3	0.162
162	0.243	426/4	0.105
163	0.137	427/6	0.125
169/2	0.089	426/5	0.073
169/3	0.129	427/7	0.081
169/4	0.170	428/1	0.040
169/5	0.185	427/4	0.260
171/1	0.080	428/2	0.219
171/2	0.567	429/1	0.331
174/1	0.064	429/2	0.526
174/2	0.704	455	0.085
179	0.037	456/1	0.243
180/1	0.218	456/2	0.129
180/3	0.750	456/3	0.145
181/2	0.024	456/4	0.234
184/2	0.955	457	0.121
186/2	0.081	458/2	0.364
184/4	0.081	459	0.137
184/5	0.210	460/3	0.178
184/7	0.178	460/4	0.162
184/8	0.073	460/5	0.166
184/13	0.146	460/6	0.202
184/14	0.372	464/1	0.024
184/15	0.260	464/2	0.121
184/16	0.275	464/3	0.129
184/17	0.057	464/4	0.121
185	0.061	464/5	0.186
188	0.129	464/6	0.647
312	0.028	475	0.376
313	0.051	487/2	0.291
318	0.057	488/1	0.016
394/1	0.380	488/2	0.250
394/5	0.121	489	0.316
395/1	0.162	492	0.049
395/2	0.093	493/2	0.089
400	0.295	493/3	0.275
402	0.655	496/1	0.461
420/1	1.117	496/6	0.170
422	0.275	496/7	0.578
423	0.040	499/2	0.081
424	0.057	499/3	0.089
425/2	0.186	499/4	0.194
427/2	0.040	499/5	0.242

(1)	(2)	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टर में)
499/6	0.174	(1)	
499/11	0.170	137	0.170
500/2	0.089	138	0.760
546/2	0.154	139/1	0.670
546/3	0.477	139/2	0.260
546/4	0.307	140/1	0.096
546/5	0.008	140/2	0.030
548	0.316	141	0.750
557/1	0.453	242/1	0.367
557/2/3	0.032	152/1/1	0.750
कुल योग : <u>30.238</u>		152/1/5	0.350

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 24, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

क्र. 1186-भू-अर्जन-10-44-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—कसरावद

(ग) ग्राम—अहिर धामनोद

(घ) क्षेत्रफल—16.057 हेक्टेयर।

299/1/2	0.020
299/1/1	0.160
299/2/1	0.130
299/3/3	0.160
299/4/3	0.140
300/1	0.640

(1)	(2)		
305/1/2	0.180		
305/6	0.390		
306/1/1	0.290		
306/1/3	0.350		
344/1	0.278		
344/4	0.170		
347/1	0.300	(1) भूमि का वर्णन—	
385/6	0.120	(क) जिला—खरगोन	
386/2	0.202	(ख) तहसील—कसरावद	
391/1	0.050	(ग) ग्राम—गोठान्या	
391/3	0.435	(घ) क्षेत्रफल—2.520 हेक्टेयर.	
456/1	0.290	खसरा	रकबा
457/1	0.220	नम्बर	(हेक्टर में)
457/5	0.160	(1)	(2)
459/1/1	0.190	3	0.780
459/2	0.150	55/1	0.020
459/6	0.120	60/3	0.560
459/8	0.120	90/2	0.030
460	0.030	90/4	0.260
461/3	0.060	90/5	0.750
462/1	0.020	90/6	0.120
463/1	0.750	कुल योग :	<u>2.520</u>
कुल योग : <u>16.057</u>			

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है।

क्र. 1183-भू-अर्जन-10-45-अ-82.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—खरगोन

(ख) तहसील—कसरावद

(ग) ग्राम—गोठान्या

(घ) क्षेत्रफल—2.520 हेक्टेयर.

खसरा

रकबा

नम्बर

(हेक्टर में)

(1)

(2)

3

0.780

55/1

0.020

60/3

0.560

90/2

0.030

90/4

0.260

90/5

0.750

90/6

0.120

कुल योग : 2.520

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की वितरण शाखा एवं अन्य नहरों के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, कार्यालय खरगोन/भू-अर्जन अधिकारी, इंदिरा सागर परियोजना (नहरें) खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
केदार शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग	(1)	(2)	
	723	0.13	
	725	0.14	
बैठन, दिनांक 23 अगस्त 2010	726	0.06	
	727	0.15	
क्र. 1755-भू-अर्जन-2010—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) संशोधित 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—	728	0.37	
अनुसूची	729	0.15	
	730	0.14	
(1) भूमि का वर्णन—	731	1.61	
(क) जिला—सिंगरौली	732	0.13	
(ख) तहसील—चितरंगी	733	1.42	
(ग) ग्राम—खोखवा, रा. नि. मं. दुधमनिया	734	0.42	
(घ) लगभग क्षेत्रफल—138.31 हेक्टर, प.ह.नं. बगैया नं. 45.	735	0.88	
खसरा	रक्कड़ा	736	1.28
नम्बर	(हेक्टेयर में)	737	5.07
(1)	(2)	738	0.31
670	0.15	739	0.03
672	1.72	740	0.46
674	5.64	741	0.10
675	2.01	742	0.04
677	1.01	743	1.08
678	1.21	744	0.60
683	0.48	745	0.09
685	0.87	746	0.04
686	0.78	747	0.08
687	0.59	748	0.15
688	0.18	749	0.19
689	0.01	750	0.43
690	0.03	751	0.28
691	0.01	752	0.05
717	0.76	753	0.50
721	0.26	754	0.21
722	0.19	755	0.37

(1)	(2)	(1)	(2)
850	0.07	907	0.31
853	1.72	908	0.15
855	0.15	910	0.13
856	0.06	911	0.04
857	0.61	912	0.12
860	0.40	913	0.06
863	0.24	914	0.11
866	0.02	915	0.13
867	0.01	916	0.14
868	0.12	917	0.21
869	0.22	918	0.05
870	0.45	927	0.10
873	1.48	928	0.30
874	0.91	929	0.03
875	0.19	930	0.13
880	0.08	931	0.16
881	0.74	932	0.08
882	0.11	933	0.46
883	0.03	934	0.79
884	0.19	935	0.40
885	0.13	944	0.05
886	0.23	945	0.64
887	0.02	947	0.32
888	1.11	948	0.25
889	0.31	949	0.16
890	0.43	950	0.38
891	0.10	951	0.41
892	0.40	952	0.07
893	0.91	955	0.35
894	0.11	956	0.18
897	0.11	961	0.32
898	0.24	962	0.14
899	0.37	963	0.14
900	0.26	964	0.24
904	0.28	965	0.47
905	0.24	967	0.16
906	0.27		

(1)	(2)	(1)	(2)
968	0.10	1062	0.93
969	1.35	1064	0.80
971	0.50	1070	1.00
972	0.82	1073	0.21
973	3.14	1075	0.04
980	1.21	1076	0.20
981	0.32	1084	0.08
982	0.23	1085	1.03
983	0.16	1086	1.32
988	1.36	1088	0.51
989	1.21	1089	1.38
992	2.00	1098	2.40
993	2.00	1113	2.74
994	1.11	1114	0.38
995	1.16	1119	1.05
996	1.21	1120	0.97
1003	0.61	1121	0.92
1005	0.20	1123	0.13
1011	0.45	1124	0.03
1014	0.34	1125	0.27
1015	0.66	1127	0.25
1016	0.75	1128	0.40
1018	0.25	1129	0.03
1021	0.29	1140	1.22
1026	0.06	1151	1.01
1029	0.28	1157	2.23
1030	0.22	1163	0.42
1031	0.30	1165	0.64
1034	0.36	1173	0.15
1035	0.17	1175	0.29
1036	0.42	1176	0.32
1037	0.27	1177	0.16
1041	0.22	1178	0.04
1043	0.19	1179	0.67
1044	0.12	1180	0.16
1056	0.19	1181	0.27

(1)	(2)	(1)	(2)
1182	0.24	1270	0.02
1183	1.64	1271	0.32
1184	1.87	1272	0.04
1185	1.34	1273	0.40
1186	0.20	1274	0.04
1187	0.52	1277	0.25
1190	0.19	1280	0.06
1191	0.69	1281	0.24
1192	0.42	1282	0.09
1194	0.79	1285	0.54
1195	0.14	1286	1.27
1196	0.72	1291	0.20
1204	0.37	1305	0.27
1205	0.06	1306	1.21
1208	1.12	1307	2.02
1209	0.90	1311	0.40
1219	0.41	1312	1.21
1220	0.41	1319	0.07
1221	1.21	1320	0.34
1222	1.22	1323	0.02
1223	0.38	1324	0.03
1224	0.41	1325	0.42
1225	0.55	1331	2.05
1226	0.32	1332	0.71
1227	0.07	1333	2.02
1232	1.01	1349	0.16
1234	0.20	1350	0.46
1236	0.31	1351	0.46
1237	0.09		योग . . . 138.31
1263	0.15	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—चितरंगी पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 4000 मेगावाट विद्युत् उत्पादन के लिए पावर प्लांट की स्थापना।	
1264	0.03	(3) भूमि का नक्शा (प्लान), कलेक्टर, जिला सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।	
1265	0.22		
1266	0.03		
1267	0.28		
1268	0.19	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,	
1269	0.07	पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—चितरंगी पावर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 4000 मेगावाट विद्युत् उत्पादन के लिए पावर प्लांट की स्थापना।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान), कलेक्टर, जिला सिंगरौली के कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. नरहरि, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

कार्यालय, कलेक्टर, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

झाबुआ, दिनांक 26 अगस्त 2010

क्र. 2373-भू-अर्जन-2010-रा.प्र.क्र.-अ-82-09-10.—चूंकि,
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2)
में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।
अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की
धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
- (ख) तहसील—पेटलावद
- (ग) नगर/ग्राम—बेकल्दा (नहर)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —0.65 हेक्टर

निजी भूमि

सर्वे नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
264/2	0.13
275/1	0.02
275/3	0.04
515	0.04
496	0.03
552	0.02
283/2	0.02
497	0.10
1268	0.25
योग . .	0.65

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता
है—बेकल्दा तालाब निर्माण होने से ग्राम बेकल्दा का कुल
रकबा निजी भूमि 0.65 हेक्टर।
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं
भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा
सकता है।

क्र. 2375-भू-अर्जन-2010-रा.प्र.क्र.-अ-82-09-10.—चूंकि,
राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई
अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2)
में उल्लेखित किये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।
अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की

धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह भी घोषित किया जाता है कि
उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—झाबुआ
- (ख) तहसील—पेटलावद
- (ग) नगर/ग्राम—पटेल नाका (नहर)
- (घ) लगभग क्षेत्रफल —1.11 हेक्टर।

निजी भूमि

सर्वे नंबर	रकबा (हेक्टर में)
(1)	(2)
78	0.03
33	0.14
77	0.02
76	0.04
74	0.03
71	0.10
70	0.01
69/1	0.01
68	0.07
67	0.05
64	0.02
115	0.04
114	0.05
110	0.02
154	0.03
149	0.10
113	0.03
107	0.14
106	0.09
145/2	0.01
153	0.06
256	0.60
योग . .	1.11

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता
है—पटेल नाका तालाब के नहर निर्माण होने से ग्राम
पटेल नाका का कुल रकबा निजी भूमि 1.11 हेक्टर।

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं
भू-अर्जन अधिकारी, पेटलावद के कार्यालय में देखा जा
सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोधित जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

राजगढ़, दिनांक 27 अगस्त 2010

क्र. 9612-भू-अर्जन-2010.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—राजगढ़
- (ख) तहसील—नरसिंहगढ़
- (ग) नगर/ग्राम—कुदाली
- (घ) क्षेत्रफल —0.126 हेक्टर.

सर्वे नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
8 में से	0.126

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—कुदाली तालाब के शीर्ष कार्यस्थित चेनल के निर्माण हेतु अतिरिक्त भूमि का अर्जन।
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), नरसिंहगढ़ एवं भू-अर्जन अधिकारी, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
लोकेश कुमार जाटव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

खण्डवा, दिनांक 27 अगस्त 2010

भू-अर्जन-प्र. क्र.-27-अ-82-08-09 शुद्धिपत्र.—श्री सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना के अन्तर्गत रेल मार्ग निर्माण हेतु ग्राम देवला, तहसील पुनासा, जिला खण्डवा की अधिग्रहित की जा रही भूमि के संबंध में भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 27-अ-82-08-09 में भू-अर्जन

अधिनियम, 1894 की धारा 6 की उद्धोषणा का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1, में दिनांक 19 मार्च 2010 को दैनिक जागरण में दिनांक 7 मार्च 2010 को, नवभारत में दिनांक 7 मार्च 2010 को हुआ है। उक्त घोषणा में निम्नानुसार संशोधन पढ़ा जावे :—

प्रकाशन जिसमें हुआ	पूर्व प्रकाशित प्रविष्टि	सही संशोधित प्रविष्टि
	खसरा नंबर (हे. में)	खसरा नंबर (हे. में)
(1)	(2)	(3)
मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग-1 दिनांक 19-3-2010	156	1.81
		156/1 0.15
		156/3 0.88
		156/4 0.78
दैनिक जागरण दिनांक 7-3-2010	156	1.81
		156/1 0.15
		156/3 0.88
		156/4 0.78
नवभारत दिनांक 7-3-2010	156	1.81
		156/1 0.15
		156/3 0.88
		156/4 0.78

उक्त प्रकाशन उद्घोषणा में खसरा नं. 156 के स्थान पर संशोधित खसरा नं. 156/1, 156/3, 156/4 होगा। कुल रकबा 10.19 है, अपरिवर्तनीय है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
डी. डी. अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन अपर सचिव।

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

रायसेन, दिनांक 30 अगस्त 2010

प्र. क्र. 2-अ-8209-10.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि निम्न अनुसूची के खाने (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक, सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत, इसके द्वारा, यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रायसेन
- (ख) तहसील—सिलवानी
- (ग) ग्राम—इमलिया, सिलरमड, देवकानी, आमापानी खुर्द

खसरा नम्बर	कुल रकबा	अर्जित किये जाने वाला (हेक्टेयर में)	(1)	(2)
(1)	(2)		197/1	0.522
	ग्राम—इमलिया		191	0.036
58	0.559	0.486	187/1	0.202
57	1.266	0.919	45,46/1	10.267
56/2	0.226	0.158	85/2	0.202
83	0.364	0.364	187/2	0.215
71	0.599	0.546	45,46/2	10.117
70	0.279	0.279	80/2/1,	1.214
			90,91,92,93	
59	0.202	0.202	80/2/2/1,	0.709
60	0.862	0.862	90,91,92,93	0.709
48	9.179	5.860	94	0.057
49	0.283	0.194	98/1	0.130
69	1.343	1.343	80/2/2/3,	0.809
61	0.125	0.125	90,91,92,93	0.809
66	2.853	2.853	97	0.097
64	0.632	0.632	98/2	0.611
65	0.470	0.470	101	0.291
53	0.722	0.089	190	0.049
100	0.482	0.482	188	0.348
104	0.251	0.251	168	0.125
106	0.522	0.522	166/2	0.352
163	0.101	0.081	107	0.065
50/1	1.639	0.129	122/1/2	1.250
67	0.555	0.555	123/1	0.145
68/3	0.583	0.583	126,127/2	0.320
68/1	1.133	1.133	354,355	1.546
68/2	1.133	1.133	108	0.065
73/1	2.035	1.959	110	0.024
76	0.278	0.278	202,203/2	2.221
381/72/2/2	0.670	0.670	196	0.450
77	1.453	1.453	170	0.093
74,75/1/1	0.870	0.870	392/152	0.028
74,75/2/1	0.546	0.546	166/1	0.081
74,75/1/2	1.619	1.619	165	0.008
74,75/2/2	1.351	1.351	164/1/1	0.024
81/2	0.065	0.065	162	0.036
81/1	0.526	0.526	164/1/2	0.085
80/2/2/2, 90,91,92,93	0.809	0.809	164/2	0.259
87	0.089	0.089	122/1/3	1.230
88	0.182	0.182	123/2	0.146
80/1,90,91, 92, 93.	0.363	0.363	126,127/3	0.263
122/2	1.032	1.032	129	0.057
85/1	0.409	0.409	122/1/1	0.666
195	0.194	0.122	126,127/1	0.230
			122/1/1/2	0.566
			125	0.251
			128	0.279
			360,361/1	0.566
				0.405

(1)	(2)	(1)	(2)
132	0.291	0.291	156
133	0.247	0.247	योग 0.676
134	0.247	0.247	115.623
135	0.793	0.793	ग्राम-सियरमड
136,367/1	1.684	1.319	588 1.882
368	0.069	0.069	595,596 2.910
358	0.773	0.101	योग 4.792
136,367/2	1.214	1.214	ग्राम-देवकानी 0.418
136,367/3	1.214	0.202	2,3/1/1 1.364
365	0.210	0.210	4/1 4.067
370	4.735	4.512	5 1.043
371,372,373	1.287	1.287	2,3/1/2 0.474
363/1	0.097	0.097	2,3/2 0.733
307/1	0.546	0.081	4/3 2.023
363/2	0.041	0.041	10/2 0.231
364/1	0.603	0.364	4/2/1 0.830
307/2	0.898	0.198	4/2/2 1.214
309,310/1	1.982	0.041	9/1/2/1 1.214
376	0.223	0.223	10/1/2/1 0.607
377/1/1/1/	0.967	0.506	9/1/2/2 1.416
302	0.526	0.130	10/1/2/2 0.405
303	0.914	0.041	9/1/1 1.777
379/4	0.129	0.129	9/2/2 1.214
304/1	0.930	0.425	9/2/1 3.193
379/2	0.283	0.283	9/3 4.407
378/2	1.011	0.372	9/4/2 1.214
375	0.202	0.202	9/4/1/1 0.809
379/3/2/2			9/4/1/2 2.380
378/1/2/2	0.555	0.304	10/1/1 1.283
379/1	0.336	0.336	15 0.352
377/1/1/2	0.786	0.786	23,24,25, 1.594
375	0.381	0.381	27/1
379/3/2/1			11 1.716
377/2	0.978	0.978	12 0.733
377/1/2	0.975	0.550	26/1 0.150
375,379/3/2/2	0.202	0.202	26/2 0.150
119,120	0.636	0.304	26/3 0.145
121/2/1			23,24,25, 0.534
119/120/	1.416	1.133	27/2/3
121/2/2			16/1 1.230
192/2	0.308	0.049	16/2 1.230
360, 361/2	0.542	0.542	42 0.372
364/2	0.644	0.506	44/1/1 0.607
364/3	0.648	0.020	45,52,53 0.522
119,120,121/1	0.202	0.202	54/1/3 0.121
73/2	2.036	2.036	47/1 0.659
73/3	2.036	2.036	47/2 0.166
73/4	2.040	2.040	45,52,53, 0.981
381/72/2/1	0.951	0.951	54/1/1 0.356

(1)	(2)	(1)	(2)
66	0.085	0.085	82/3/4 0.405
69/2	0.100	0.093	83/3/2 0.085
65/1/2	0.385	0.275	97/1/2/2 0.519
67	0.316	0.316	81/2 1.214
68	0.445	0.445	84/1 0.401
69/1	0.021	0.021	82/3/1 0.809
70	0.081	0.053	86/3/1/2 0.446
65/1/1	0.182	0.089	84/2 0.797
65/2	0.858	0.397	82/3/2 0.857
योग . .	45.512	35.894	82/1 0.101
ग्राम-आमापानी खुर्द			
1/2/1	0.303	0.162	83/1 0.032
2/1	1.518	0.708	86/1 0.151
1/2/2	0.506	0.506	97/2 1.335
2/2	1.315	1.315	82/2 0.101
1/1	1.065	1.065	83/2 0.032
4/1	0.405	0.405	86/2 0.146
5	0.174	0.174	97/3 1.340
75,77,78,79/2	2.023	0.041	82/3/3 0.405
2/3	1.271	0.923	83/3/1 0.987
87	0.105	0.105	97/1/2/4 0.234
89	0.599	0.599	86/3/1/1 0.728
94	0.789	0.364	97/1/2/5 0.890
202/90	0.194	0.194	86/3/2 0.186
92/2	0.704	0.291	88 0.882
18/2	3.642	2.857	97/1/1 0.672
19	3.990	2.169	75,77,78,79/3 1.040
18/1	8.077	8.077	86/3/3 0.109
4/2	1.727	1.727	90/1 0.364
6	1.433	1.433	90/2 0.384
3/1	1.692	1.692	92/1 0.648
3/2	1.174	1.174	91 2.306
7	0.793	0.793	186/1 0.672
8	3.703	3.703	186/2 0.821
9	0.255	0.255	184/2 1.161
10/1	0.809	0.809	184/1 1.982
17/1	1.833	1.833	97/1/2/1 1.627
10/2	0.368	0.368	97/1/2/3 0.129
17/2	0.809	0.809	97/1/2/6 1.395
12	0.922	0.922	योग . . 85.629
13/1	7.369	7.369	कुल योग . . 66.014
15	0.817	0.817	251.556 184.755
13/2	1.619	1.619	
73	0.684	0.223	
75,77,78,79/1	1.044	0.801	
22	5.299	0.097	
81/1	0.206	0.206	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन—साजखेड़ा तालाब योजना।

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय बेगमगंज में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुनीता त्रिपाठी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2010

क्र 896-जे.सी.-1-कलेक्टर-भोपाल-2010.—दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 का सरल क्रमांक-2) की धारा 2 के खण्ड एस. एवं शासन के आदेश क्रमांक एफ-2-(क)-15-99-बी-3-दो, दिनांक 11 अक्टूबर 2004 तथा शासन के पत्र क्रमांक एफ-2-(क)-9-08-बी-3-दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 द्वारा कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, तथा जिला अधियोजन अधिकारी की जिला स्तरीय समिति को प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये समिति की बैठक दिनांक 28 अगस्त 2010 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष्य में नीचे दी गई सारणी में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को प्रभावित करने वाली पूर्व की अधिसूचना क्रमांक 4904-5127-बी (3)2-85, दिनांक 21 नवम्बर 1985 में आंशिक उपान्तरण करते हुए राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने की तारीख से:—

एक नीचे दी सारणी के कालम (1) में उल्लेखित पुलिस थाने से उसके (सारणी के) कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करती है।

दो सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट स्थानीय क्षेत्रों को सारणी के कालम (3) में उल्लेखित पुलिस थाने में सम्मिलित करती है।

		सारणी	
पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित)	स्थानीय क्षेत्र	पुलिस थाने का नाम (तहसील तथा जिला सहित)	
जिसमें से अपवर्जित किया गया है। (1)	ग्राम/मोहल्ले का नाम एवं बन्दोबस्त/वार्ड क्रमांक	ग्राम/मोहल्ले का नाम एवं बन्दोबस्त/वार्ड क्रमांक	जिसमें से सम्मिलित किया गया है। (2)
			(3)

	ग्राम/मोहल्ले का नाम	बन्दोबस्त नं.	
पुलिस थाना मिसरोद, तहसील हुजूर, जिला भोपाल।	1. बांगमुगालिया एक्सटेंशन हाउसिंग बोर्ड कालोनी।	190	पुलिस थाना बागसेवनियां, तहसील हुजूर, जिला भोपाल।
	2. ग्राम लहारपुर	263	
	3. संत आशाराम नगर कालोनी फेस-3	263	
	4. ग्राम कटारा	21	
	5. कटारा हिल्स हाउसिंग बोर्ड कालोनी	21	
	6. पार्क सिटी	21	
	7. सप्रिंग बेली कोलानी	21	

पुलिस थाना बिलखिरिया, तहसील हुजूर, जिला भोपाल।	1. ग्राम बराई	105	पुलिस थाना बागसेवनियां, तहसील हुजूर, जिला भोपाल।
---------------------------------------------------	---------------	-----	-----------------------------------------------------

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निकुंज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 28 अगस्त 2010

क्र 896-जे.सी.-1-कलेक्टर-भोपाल-2010.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र 896-जे.सी.-1-भोपाल-2010, दिनांक 28 अगस्त 2010 के द्वारा अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निकुञ्ज कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव।

Bhopal, the 28th August 2010

No. 896-J.C.I-COLLECTOR-BHOPAL-2010.—In exercise of the powers conferred by clause(s) Section 2 of the Code of Criminal procedure; 1973 (No. 2 of 1974) and Madhya Pradesh Home (Police) Department order number F-2(K) 15-99-B-3-two, dated 11th October 2004 and number F-2(K) 9-08-B-3-two, dated 30th July 2010 in compliance with decisions taken by the powers conferred to Committee of District Collector/SSP/DPO, in meeting Dated 28th August 2010 in partial modification of the previous notification No. 4904/5127/B(3)2/85, Dated 21st November 1985 in the specified local areas comprised in respective police stations mentioned in the Table below, the State Government hereby which effect from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette:—

1. Exclude from the police station mentioned in column (1) of the table below the local areas specified in column (2) thereof and.
2. Includes the local areas specified in column (2) of the said table in the police station mentioned in column (3) of the said table.

TABLE

Name of police station (with tehsil and distt.) From which excluded	LOCAL AREA		Name of police station (with tehsil and distt.) From which excluded
	(1)	(2)	
Police Station Misrod Tehsil Hujur Distt. Bhopal		Name of Villages	Settlement No.
	1. bagh Mungalia Ext. Housing Bord colony	190	Ploice Stateion Bag Sewnia Tehsil Hujur, Distt. Bhopal
	2. Village Laharpur	263	
	3. Sant Asharam Nagar colony Phase-3	263	
	4. Village Katara	21	
	5. Katara hills Housing Bord Colony	21	
	6. Park City	21	
	7. Springbelly Colony	21	
Police Station Bilkhriya Tehsil Hujur, Dist. Bhopal	1. Village Barrai	105	Police Station Bag Sewnia Tehsil Hujur Distt. Bhopal

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
NIKUNJ KUMAR SHRIVASTAVA, Collector &
Ex-officio Dy. Secy.

